प्रेषक,

मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. **समस्त अधीक्षण अभियन्ता,**
   लघु सिंचाई वृत्त, उ0प्र0।
2. **समस्त अधिशासी अभियन्ता,**
   लघु सिंचाई खण्ड, उ0प्र0।
3. **समस्त सहायक अभियन्ता,**
   लघु सिंचाई उपखण्ड, उ0प्र0।

पत्रांकः– 1378 /ल.सिं./कार्य./मु.ल.सिं.यो./2022–23 दिनांकः 31 अक्टूबर, 2022

विषयः– **मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश एवं रूपपत्रों का प्रेषण।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र सं0–1307/76–4–2022–2/2(22)/2022 दिनांक 31.10.2022 द्वारा **"मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना"** की कार्य योजना/दिशा–निर्देशों (Guidelines) के अनुमोदनोपरान्त योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी –

मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश

प्रदेश के कृषकों को सुलभ, समुचित एवं सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने, सौर ऊर्जा तथा सूक्ष्म सिंचाई पद्धति एवं वर्षा जल संचयन व भूगर्भीय जल के संवर्द्धन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से "मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना" लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत निम्नवत् कार्य कराये जायेंगे –

(अ) मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना (उथले नलकूप)

इसके अन्तर्गत प्रदेश के एल्यूवियल क्षेत्रों में 30 मीटर गहराई तक की 110 एम0एम0 (04 इंच) व्यास की बोरिंग करायी जायेगी। उथले नलकूप से सृजित सिंचन क्षमता का मानक प्रति नलकूप 05 हेक्टेयर है।

कृषक लाभार्थी की पात्रता श्रेणीः–

1. कृषक का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना pmkisan.gov.in अथवा पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल http://upagripardarshi.gov.in पर पंजीकरण होना आवश्यक है।

2. उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबन्धन एवं विनियमन अधिनियम, 2019 के प्रावधान के अन्तर्गत ड्रिलिंग एजेन्सी/फर्म का पंजीकरण भूगर्भ जल विभाग के पोर्टल upgwdonline.in पर कराया जाना आवश्यक है।

3. कृषक द्वारा बोरिंग कराने हेतु वेब–पोर्टल jjmup.org/विभागीय पोर्टल (यथा संशोधित) पर किया गया ऑन लाईन आवेदन ही स्वीकार किया जायेगा।

4. इस योजना में सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमान्त कृषक, जिनकी न्यूनतम जोत सीमा 0.2 हे0 है, पात्र होंगे। अनुसूचित जाति/अनु0 जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों के मामले में न्यूनतम जोत सीमा का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

5.(क) इस योजना के अन्तर्गत 30 मीटर गहराई तक की 110 एम.एम. (4इंच) व्यास की बोरिंग/नलकूप निर्मित किया जायेगा। "प्रधानमंत्री कुसुम योजना" हेतु पंजीकृत कृषकों को प्रस्तावित योजना में प्राथमिकता दी जायेगी।

(ख) योजना के अन्तर्गत उथले नलकूपों हेतु पात्रता एवं अनुदान निम्नानुसार अनुमन्य होगाः–

क. सं.	कृषक की श्रेणी	बोरिंग पर अनुदान (रू0प्रति बोरिंग)	पम्पसेट पर अनुदान (रू0प्रति पम्पसेट) यदि आवश्यक हो	जल वितरण प्रणाली (एच.डी. पी.ई. पाअप) पर अनुदान कुल	कुल औसत अनुमन्य अनुदान (रू0 प्रति बोरिंग)	सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर अनुदान (रू0प्रति हेक्टयर की दर से
1.	सामान्य श्रेणी के लघु कृषक (01 हे0 से अधिक 2 हे. तक)	11,000/-	18,000/-	4,800/– अधिकतम	14,900/– (11,000+2700 +1200)	उद्यान/कृषि विभाग द्वारा संचालित योजना में देय अनुदान। (प्रति हेक्टेयर की दर से)
2.	सामान्य श्रेणी के सीमान्त कृषक (01 हे0 तक)	15,400/-	25,200/-	4,800/– अधिकतम	20,380/– (15,400+3780 +1200)	
3.	अनुसूचित जाति/ जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषक	19,800/-	32,400/-	4,800/– अधिकतम	25,860/– (19,800+ 4860+1200)	

(ग) जल के अपव्यय को रोकने हेतु उथले नलकूप योजना पर यथासम्भव सूक्ष्म सिंचाई पद्धति स्थापित किया जायेगा। वैसे कृषकों, जिनके उथले नलकूप पर सूक्ष्म सिंचाई पद्धति स्थापित करना सम्भव नहीं हैं अथवा कृषक इच्छुक नहीं हैं,

वैसे उथले नलकूपों के जल उपयोग दक्षता बढाने के दृष्टिगत बजट उपलब्धता की सीमा में 25 प्रतिशत लाभार्थी कृषकों को 90/110 एम0एम0 व्यास का 30 से 60 मीटर एच0डी0पी0ई0 पाइप की लागत का 50प्रतिशत अधिकतम रू0 4800/- का अनुदान भी देय होगा। यह अनुदान सीमा सभी श्रेणी के लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए होगी। उक्त अनुदान प्राप्ति हेतु कृषक को रू0 4800.00 विभाग में अंशधन के रूप में जमा करना होगा।

जल वितरण प्रणाली के रूप में आई.एस.आई मार्क एच.डी.पी.ई. पाइप की प्राप्ति हेतु कृषक द्वारा जमा अंशधन की तिथि के आधार पर सहायक अभियन्ता कार्यालय में **'प्राथमिकता रजिस्टर'** का संचालन करते हुए वरीयता क्रम में सुविधा का लाभ दिया जायेगा।

(घ) बजट की उपलब्धता की सीमा में 15 प्रतिशत लाभार्थी कृषकों को डीजल/विद्युत पम्पसेट पर अनुदान का लाभ अनुमन्य कराया जायेगा। उक्त हेतु कृषक रू. 100.00 के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ-पत्र सहायक अभियन्ता के कार्यालय में उपलब्ध करायेगा कि वह अपने उथले नलकूप की बोरिंग पर पम्पसेट स्थापना हेतु इच्छुक है एवं उसके द्वारा किसी अन्य विभाग अथवा लघु सिंचाई विभाग से उक्त हेतु पूर्व में अनुदान प्राप्त नहीं किया गया है।

उपरोक्तानुसार कृषक के द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र की तिथि के आधार पर सहायक अभियन्ता कार्यालय में एक **'पंजीकरण रजिस्टर'** संचालित किया जायेगा, जिस पर अंकन के आधार पर वरीयता क्रम में अनुदान का लाभ कृषक को अनुमन्य होगा।

(च) इस योजना में पम्पसेट स्थापना एवं एच.डी.पी.ई. पाइप वितरण की बाध्यता नहीं रहेगी। बोरिंग के भौतिक लक्ष्य उपलब्ध धन एवं कृषकों के मांग के अनुरूप परिवर्तित होंगे तथा जल वितरण प्रणाली एवं पम्पसेट स्थापना के अवशेष धनराशि से अतिरिक्त बोरिंग करायी जा सकेगी। उक्त योजना के अन्तर्गत ऐसे कृषकों को, जो उद्यान विभाग/कृषि विभाग द्वारा संचालित सूक्ष्म सिंचाई पद्धति(ड्रिप/स्प्रिंकलर) सिंचाई प्रणाली/प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लाभ लेने हेतु कृषि विभाग के पोर्टल http://upagripardarshi.gov.in or www.upagriculture.com अथवा यथा संशोधित पोर्टल पर पंजीयन करायेंगे, उन लाभार्थी कृषकों को बोरिंग कराने में वरीयता प्रदान की जायेगी।

(छ) जो कृषक मुख्य मंत्री लघु सिंचाई योजना (गहरे नलकूप, मध्यम गहरे नलकूप) में पूर्व से लाभान्वित है, उन्हें इस योजना का लाभ तभी मिलेगा, जब वे पूर्व योजना के डिफाल्टर न हों तथा ऋण का पूर्ण भुगतान कर चुके हों।

6. उथले नलकूपों के प्रत्येक लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित करने हेतु लाभार्थी का फोटोग्राफ, आधार कार्ड एवं मोबाइल नं0 की सूचना संरक्षित की जायेगी।

<u>वित्तीय व्यवस्था–</u>

(1) उथले नलकूप हेतु जिलायोजना में स्वीकृत परिव्यय एवं उपलब्ध बजट के सापेक्ष खण्डवार/जनपदवार बजट/वित्तीय स्वीकृतियाँ शासन द्वारा सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई को उपलब्ध करायी जायेंगी।

(2) वित्तीय स्वीकृति के आधार पर मुख्य अभियन्ता कार्यालय के वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा धनराशि का आवंटन सम्बन्धित खण्ड/जनपद को किया जायेगा।

<u>लक्ष्यों का निर्धारणः–</u>

(1) प्रत्येक वर्ष जनपदवार लक्ष्य शासन स्तर से उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग के स्तर से निर्गत किये जायेंगे, यथा आवश्यकता/माँग के अनुसार लक्ष्य मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई के स्तर पर परिवर्तनीय होंगे।

(2) विकास खण्ड हेतु लक्ष्यों का निर्धारण जनपद में सेमी क्रिटिकल एवं सुरक्षित विकास खण्डों की स्थिति, क्षेत्र में कार्यक्रम की मांग तथा भूजल विकास की सम्भावनाओं के दृष्टिगत सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई की संस्तुति पर सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता के द्वारा किया जायेगा।

(3) चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में चयनित लाभार्थियों का बोरिंग कार्य लक्ष्यों के सापेक्ष तत्काल प्रारम्भ करा दिये जायेंगे।

(4) शासन द्वारा किसी विशेष योजना में चयनित ग्रामों को योजनान्तर्गत प्राथमिकता दी जायेगी तथा इन ग्रामों को उथले नलकूपों के निर्धारित मानको के अनुसार शीघ्र प्राथमिकता पर संतृप्त किया जायेगा। इस हेतु आवश्यक धनराशि का मात्राकरण उथले नलकूपों हेतु आवंटित धनराशि से ही सुनिश्चित किया जायेगा, जिससे कि धनराशि के कारण उक्त ग्रामों के कार्य अवरुद्ध न हो।

लाभार्थियों का चयनः–

उथले नलकूप के लिये कृषकों के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

(1) वेब पोर्टल jjmup.org/विभागीय पोर्टल (यथा संशोधित) पर पंजीकृत कृषकों में से पात्र व इच्छुक कृषकों का चयन किया जायेगा।

(2) विभाग के सहायक बोरिंग टेक्नीशियन/बोरिंग टेक्नीशियन द्वारा ग्रामवार एक रजिस्टर बनाया जायेगा, जिसमें उल्लेख किया जायेगा कि वर्षवार किस–किस कृषक की किस–किस योजना में बोरिंग करायी गयी है।

(3) उथले नलकूपों हेतु कृषकों का चयन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकृत कृषकों में से ही किया जाना होगा।

(4) यदि किसान उक्त योजना में पंजीकृत नहीं है, तो लाभार्थी कृषको को पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल upagripardarshi.gov.in पर पंजीकरण कराना होगा।

(5) पारंपरिक बोरिंग कर सामान्य पम्पसेट अधिष्ठान पद्धति के स्थान पर सोलर पम्प आधारित सिंचाई प्रणाली हेतु आवेदन करने वाले लाभार्थियों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

(6) सहायक बोरिंग टेक्नीशियन/बोरिंग टेक्नीशियन द्वारा उपरोक्तानुसार पंजीकृत कृषकों में से पात्र एवं इच्छुक कृषक का विवरण रूप–पत्र पर अंकित कर पात्रता के संबंध में संस्तुति की जायेगी।

(7) खण्ड विकास अधिकारी द्वारा, चयनित लाभार्थी के आवेदन की स्वीकृत/अस्वीकृत संबंधी संस्तुति सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई को निर्धारित रूप–पत्र पर प्रेषित की जायेगी एवं सहायक अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अस्वीकृत संबंधी निर्णय लेकर अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

(8) प्रत्येक बोरिंग की जिओ–टैगिंग की जायेगी जिसकी जी0पी0एस0 लोकेशन (अक्षांश एवं देशान्तर) का अंकन स0बो0टे0/बो0टे0 के पास रक्षित लाभार्थी कृषकों की सूची पंजिका पर किया जायेगा।

चयन में प्राथमिकतायें एवं प्रतिबन्धः–

चयन में निम्नलिखित प्रतिबन्ध एवं प्राथमिकतायें होंगी–

(1) अतिदोहित/क्रिटिकल विकास खण्डों में बोरिंग कार्य नहीं किया जायेगा।

(2) चयन करते समय यह ध्यान रखा जाये कि जहां बोरवेल/नलकूप स्थापित किया जा रहा हैं, वहाँ खेती योग्य पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो।

(3) कृषकों की बोरिंग के सम्बन्ध में यह ध्यान रखा जाये कि प्रस्तावित नलकूप/पम्पसेट से लगभग 3 हे0 शुद्ध व 5 हे0 सकल कृषि योग्य भूमि की सिंचाई सम्भव हो सके।

(4) सेमी क्रिटिकल विकास खण्डों में सीमित मात्रा में ही बोरिंग का कार्य कराया जायेगा।

(5) बोरिंग/नलकूप के मध्य दूरी नाबार्ड द्वारा जनपद विशेष के लिये निर्धारित दूरी से कम नहीं होनी चाहिए।

(6) समादेश क्षेत्र में नहर प्रणालियों के अन्तर्गत अन्तिम छोर (टेल एण्ड) के उन क्षेत्रों में, जिसमें नहरों से पानी मिलने में विशेष कठिनाई है, कृषकों को चयन में प्राथमिकता देते हुये उनका कार्य भी प्राथमिकता से कराया जायेगा।

बोरिंग की स्वीकृतिः–

(1) चयनित पात्र एवं इच्छुक कृषकों के बोरिंग की अनुमति निर्धारित रूप पत्र पर संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा निर्गत की जायेगी।

(2) बोरिंग की स्वीकृति निर्गत होने के उपरान्त संबंधित अवर अभियन्ता द्वारा निर्गत स्वीकृति के अनुसार सहायक बोरिंग टेक्नीशियन/बोरिंग टेक्नीशियन के माध्यम से कृषकों की बोरिंग करायी जायेगी।

सामग्री व्यवस्थाः–

(1) मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना (उथले नलकूप) में निर्धारित विशिष्टि आई0एस0 4985:2021(Part-B) (यथा संशोधित) का 110एम.एम., पी0वी0सी0 आई0एस0आई0 मार्क पाइप का प्रयोग किया जायेगा। बोरिंग निर्माण में निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार आई.एस.आई. मार्क IS-1239:2004 (Part-1) (यथा संशोधित) के अनुसार 100 मिमी. नामिनल बोर लाइट क्लास कॉटिंनिवस वेल्डेड पाइप का प्रयोग अपवाद स्वरूप केवल उन्हीं क्षेत्रों में किया जायेगा, जहॉं हाइड्रोलॉजिकल परिस्थितियों के कारण पी0वी0सी0 पाइप का प्रयोग सम्भव न हो। ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही आई0एस0आई0 मार्क 100 एम0एम0,एम0एस0 पाइप का प्रयोग किया जा सकेगा।

(2) पी0वी0सी0 पाइप से निर्मित बोरिंग हेतु 110एम0एम0,पी0वी0सी0पाइप एवं फिटिंग की व्यवस्था कृषक/लाभार्थी द्वारा लघु सिंचाई विभाग में पंजीकृत डीलर से स्वयं की जायेगी। उक्तानुसार डीलर/फर्म के पंजीकरण की कार्यवाही सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के स्तर पर की जायेगी।

उथले नलकूप पर जल वितरण प्रणाली की स्थापना के अन्तर्गत विभाग द्वारा एच.डी.पी.ई. पाइप का क्रय 'जेम पोर्टल' पर नियमानुसार किया जायेगा। उक्त हेतु कृषक का अंशधन बैंक ड्राफ्ट/चालान के रूप में विभाग में जमा किया जायेगा।

(3) संबंधित कृषक द्वारा लघु सिंचाई विभाग में सूचीबद्ध डीलर से सामग्री स्वयं नगद क्रय करने की स्थिति में कृषक द्वारा अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता के समक्ष भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत किया जायेगा। सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई बिल अपनी संस्तुति सहित सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को प्रेषित करेंगे। तदोपरान्त अनुमन्य अनुदान से वांछित धनराशि सीधे कृषक के बैंक खाते में हस्तान्तारित कर दी जायेगी।

कृषक द्वारा सम्बन्धित डीलर/फर्म को भुगतान करने हेतु अधिकार पत्र दिये जाने की स्थिति में कृषक से प्राप्त अधिकार पत्र के आधार पर संबंधित डीलर/फर्म को सीधे उनके बैंक खाते में भुगतान किया जायेगा। भुगतान हेतु दोनों व्यवस्थाओं में से एक व्यवस्था चुनने के लिये कृषक/लाभार्थी स्वतन्त्र होंगे।

(4) सामग्री क्रय के पश्चात् अनुदान की शेष धनराशि बोरिंग सेट चार्ज, मजदूरी की लागत पर व्यय किया जायेगा। इसके उपरान्त भी यदि धनराशि शेष रहती है तो उक्त धनराशि को डेवलपमेण्ट इत्यादि पर व्यय किया जायेगा। अनुमन्य अनुदान से अधिक होने वाला व्यय कृषक द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

(5) डीलर द्वारा कृषक को पाइप उपलब्ध कराने के पश्चात् अवर अभियन्ता लघु सिंचाई द्वारा विभागीय निर्देशों के अनुसार 15 दिन के अन्दर बोरिंग कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) बोरिंग टेक्नीशियन बोरिंग कराने से पूर्व सामग्रियों का निरीक्षण कर आई0एस0आई0 मार्क का होना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र में भी इसका अंकन करेंगे।

(7) उथले नलकूप में प्रयुक्त होने वाले पी0वी0सी0 पाअप तथा अन्य सामग्री की दरें निर्धारित करने हेतु सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता की अध्यक्षता में गठित समिति के अन्तर्गत निम्न सदस्य रहेंगे जो दरें निर्धारित करेंगेः–

(I)	अधीक्षण अभियन्ता	अध्यक्ष
(II)	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई	सदस्य
(III)	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई	संयोजक
(IV)	अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड सिंचाई विभाग	सदस्य
(V)	अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा नामित अन्य दो अधिकारी	सदस्य

(क) उपरोक्त समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष मार्केट का सर्वेक्षण कराकर निर्धारित विशिष्टियों की पी0वी0सी0 पाइप एवं अन्य सामग्रियों की अधिकतम अनुदान दर सीमा निर्धारित करेगी।

(ख) सामग्री क्रय हेतु अनुदान की स्वीकृति, उपरोक्त समिति द्वारा निर्धारित की गयी अधिकतम दर सीमाओं अथवा कृषक द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किये गये क्रय बिल में दर्शायी गयी दरों में से जो भी दरें कम होगी, के आधार पर की जायेगी।

<u>उथले नलकूप का क्रियान्वयन–</u>

(1) उथले नलकूप कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न मदों के लिये दर अनुसूची (शैड्यूल ऑफ रेटस) संबंधित अधीक्षण अभियन्ता लघु सिंचाई द्वारा निर्धारित/संशोधित किये जायेंगे। अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई अनुसूची के अनुसार कार्य कराने के लिये उत्तरदायी होंगे और अधीक्षण अभियन्ता लघु सिंचाई दर अनुसूची का पालन सुनिश्चित करायेंगे।

(2) उथले नलकूप योजना के लक्ष्यों के अनुरूप विभाग में बोरिंग सेट उपलब्ध न होने/क्रियाशील न होने पर आवश्यकतानुसार प्राइवेट बोरिंग सेट/अन्य तकनीक के प्रयोग की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ होगी कि प्राइवेट बोरिंग सेट/अन्य आधुनिक तकनीक से लगाने हेतु सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता (ल0सिं0) से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्राइवेट सेट किराये/अन्य आधुनिक तकनीक की दरें संबंधित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा निर्धारित की जायेगी, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्राइवेट बोरिंग करने वाली वेधन एजेन्सी/फर्म का पंजीकरण भूगर्भ जल विभाग की वेबसाइट पर करा लिया गया है।

(3) प्राइवेट बोरिंग करने वाली एजेन्सी/फर्म से बोरिंग कराये जाने की स्थिति में दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार–प्रसार करते हुए फर्मो का पंजीकरण सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता के द्वारा सम्बन्धित वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता के अनुमोदन/अनुमति के उपरान्त कराया जायेगा, जिस हेतु फर्म से रू0 25,000.00 की जमानत धनराशि जमा करायी जायेगी।

(4) अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि किसी भी बोरिंग पर निर्धारित अनुदान सीमा से अधिक अनुदान नहीं दिया जाय। यदि सीमा के अतिरिक्त धन आवश्यक है तो अन्तर की राशि नकद धन के रूप में लाभार्थी/कृषक से नियमानुसार स्वयं वहन करायी जायेगी। अधिशासी अभियन्ता भी यह सुनिश्चित करेंगे कि लाभार्थी कृषक को निर्धारित अनुदान सीमा से किसी दशा में अधिक अनुदान देय न हो।

(5) कृषक के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त बो0टे0/स0बो0टे0 के द्वारा कृषक की कृषि भूमि का निरीक्षण कर कृषक के संज्ञान में लाते हुए बोरिंग हेतु स्थल चयन किया जायेगा।

(6) बोरिंग के समय बोरिंग चार्ट सम्बन्धित बो0टे0/स0बो0टे0 के द्वारा तैयार किया जायेगा एवं ड्रिलिंग कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कृषक के द्वारा क्रय पाइप की लोवरिंग सम्बन्धित बो0टे0/स0बो0टे0 की उपस्थिति में की जायेगी। उक्त दोनों अभिलेखों को प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए अवर अभियन्ता के द्वारा सम्बन्धित कृषक की बोरिंग पत्रावली में संरक्षित किया जायेगा।

(7) बोरिंग पूर्ण होने पर बोरिंग कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र तैयार किया जायेगा, जिस पर लाभार्थी, बोरिंग टैक्नीशियन/सहायक बोरिंग टैक्नीशियन एवं सम्बन्धित अवर अभियन्ता के हस्ताक्षर होंगे। यह प्रपत्र बोरिंग हस्तांतरण को भी प्रमाणित करेगा, जिसकी एक प्रति कृषक को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

(8) उथले नलकूप का कार्य लघु सिंचाई विभाग द्वारा लोक लेखा पद्धति के अन्तर्गत कराया जायेगा। निर्धारित सीमा के भीतर बोरिंग का समस्त कार्य विभाग द्वारा पूर्ण कराकर श्रमांश का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते में

सीधे किया जायेगा। कार्य का भुगतान फर्म को किये जाने की स्थिति में भुगतान फर्म के खाते में ई–पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा।

(9) उथले नलकूप कार्यक्रम में कृषक को बोरिंग पर अनुमन्य अनुदान में से विभागीय बोरिंग सेट का किराया काटकर राजस्व मद में जमा किया जायेगा। बोरिंग सेट के किराये की दरें अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा निर्धारित की जायेगी।

पम्पसेट के नकद क्रय की प्रक्रिया, पम्पसेट स्थापना एवं अनुदान स्वीकृति–

उथले नलकूप बोरिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी श्रेणी के कृषकों की बोरिंग पर पम्पसेट स्थापित करने हेतु पम्पसेट के क्रय में बैंक से ऋण लेने की अनिवार्यता नहीं होगी। अतः पम्पसेट के नकद क्रय की प्रक्रिया, पम्पसेट स्थापना एवं अनुदान उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगीः–

पम्पसेट डीलर का चयन एवं पंजीकरण/सूचीबद्धता–

(1) विद्युत/डीजल पम्पसेट के निर्माता, जिन्हें आई0एस0आई0 लाइसेंस प्राप्त हैं, के अधिकृत विक्रेताओं का पंजीकरण संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार के पश्चात् किया जायेगा। पंजीकरण से पूर्व आई0एस0आई0 लाइसेंस की वैधता की अवधि बढ़ाये जाने पर तद्नुसार पंजीकरण की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

(2) निर्माता द्वारा दिये गये अधिकृत विक्रेता के प्रमाण पत्र की पुष्टि भी कर ली जाये।

(3) पंजीकरण हेतु निर्माता फर्मों के अधिकृत डीलर्स से मु0 50,000.00 की जमानत धनराशि जमा करायी जाये, जिससे कि पम्पसेट की गारण्टी अवधि में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति विक्रेता द्वारा न किये जाने पर इस धनराशि को राजसात किया जा सके।

(4) पंजीकृत डीलरों की सूची अधिशासी अभियन्ता द्वारा समय–समय पर जनपद के समस्त विकास खण्डों को जारी की जायेगी तथा विभागीय कार्यालयों एवं विकास खण्डों के कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा करायी जायेगी।

(5) पंजीकृत विक्रेताओं से कृषक अपनी इच्छानुसार व साईट की परिस्थिति के अनुसार आवश्यक अश्वशक्ति के आई0एस0आई0 मार्क विद्युत/डीजल पम्पसेट क्रय करने के लिये स्वतंत्र होगा, परन्तु 3 अश्वशक्ति से कम के

विद्युत पम्पसेट अथवा 5 अश्वशक्ति से कम के डीजल पम्पसेट तथा 10 अश्वशक्ति से अधिक विद्युत/डीजल पम्पसेट के क्रय पर अनुदान देय नहीं होगा।

<u>पम्पसेट क्रय हेतु अनुदान स्वीकृत करने की प्रक्रिया–</u>

(1) बो0टे0/स0बो0टे0 के द्वारा विद्युत/डीजल पम्पसेट के नकद क्रय हेतु अनुदान का प्रार्थना पत्र लाभार्थी कृषक से प्राप्त कर संबंधित खण्ड विकास अधिकारी को मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे संबंधित अवर अभियन्ता लघु सिंचाई एवं खण्ड विकास अधिकारी अपनी संस्तुति सहित सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई को भेजेंगे। तद्नुसार सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई क्रय हेतु स्वीकृति प्रदान करेंगे तथा इस प्रकार प्राप्त प्रार्थना पत्रों का अंकन मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित रजिस्टर पर किया जायेगा।

(2) लाभार्थियों द्वारा लघु सिंचाई विभाग में पंजीकृत डीलरों से सीधे नकद विद्युत/डीजल पम्पसेट (आई0एस0आई0 मार्क) क्रय करने की व्यवस्था स्वयं की जायेगी।

(3) विद्युत/डीजल पम्पसेट की कार्य स्थल पर स्थापना और संतोषजनक ट्रायल का सत्यापन संबंधित बो0टे0/स0बो0टे0 के द्वारा अवर अभियन्ता की उपस्थिति में किया जायेगा और संयुक्त हस्ताक्षरोपरान्त सत्यापन रिपोर्ट, भुगतान की संस्तुति मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित रूप पत्र, विद्युत/डीजल पम्पसेट की टेस्टिंग रिपोर्ट मूल में तथा निर्माता फर्म से पम्पसेट प्राप्त करने का प्रमाण पत्र सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई को प्रेषित करेंगे।

(4) अधिशासी अभियन्ता द्वारा सहायक अभियन्ता से प्राप्त संस्तुति पर वास्तविक अनुमन्य अनुदान कृषक को सीधे उनके बैंक खाते में भुगतान दिया जायेगा अथवा कृषक के लिखित अनुरोध पर डीलर को सीधे बैंक खाते में भुगतान दिया जायेगा।

(5) कृषक अथवा फर्म को अग्रिम अनुदान अनुमन्य नहीं होगा। पम्पसेट स्थापना एवं उसके सफल ट्रायल व सत्यापन के उपरान्त ही अनुदान देय होगा। पुराने विद्युत/डीजल चालित पम्पसेट के क्रय पर किसी प्रकार का कोई अनुदान देय नहीं होगा।

(6) कुछ कृषक ऐसे भी हो सकते हैं जो बोरिंग कराने के कुछ समय पश्चात पम्पसेट की आवश्यकता अनुभव कर मांग करेंगे। ऐसे कृषकों को यह छूट होगी कि वह उसी वित्तीय वर्ष में पम्पसेट क्रय कर अनुमन्य अनुदान का लाभ प्राप्त कर लें।

(7) विभागीय स्तर पर अवर अभियन्ता द्वारा शत्–प्रतिशत् सत्यापन किया जायेगा। सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता लघु सिंचाई द्वारा अपने–अपने कार्य क्षेत्र में इस प्रक्रिया के अन्तर्गत स्थापित क्रमशः 20,10,5 प्रतिशत पम्पसेटों का सत्यापन किया जायेगा।

ऋण से पम्पसेट स्थापना, अनुदान स्वीकृति एवं समायोजनः–

(1) कृषकों द्वारा ऋण के माध्यम से पम्पसेट स्थापित करने की स्थिति में ऋण प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रपत्र पर औपचारिकता पूर्ण कराते हुए सहायक टेक्नीशियन/बोरिंग टेक्नीशियन के द्वारा तैयार किये जायेंगे, जिन पर अवर अभियन्ता ल0सिं0 द्वारा तकनीकी प्लान अंकित कर खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से बैंकों को प्रेषित किये जायेंगे। सम्बन्धित बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत करने के उपरान्त कृषकवार एवं श्रेणीवार अनुदान का मांग पत्र सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को सहायक अभियन्ता के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा। जिसके अनुसार अनुदान की अग्रिम धनराशि अधिशासी अभियन्ता द्वारा बैंकों को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) पम्पसेट पर अनुदान दिये जाने के बाद सम्बन्धित बैंक द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर समायोजन की कृषकवार, मासिक सूचना लघु सिंचाई विभाग को दी जायेगी। पूर्व में उपलब्ध कराये गये अग्रिम अनुदान राशि का समायोजन प्राप्त होने के उपरान्त ही लघु सिंचाई विभाग द्वारा अनुदान की अगली किश्त की धनराशि बैंक को दी जायेगी।

(3) योजना के अन्तर्गत कृषक द्वारा स्थापित किये गये पम्पसेट के सत्यापन की सूचना पत्रावली बनाने वाले स0बो0टे0/बो0टे0 ऋण वितरण होने के एक माह के अन्दर खण्ड विकास अधिकारी को प्रेषित करेंगे। इस सूचना में ग्राम प्रधान का प्रमाण पत्र भी अंकित होगा, जिसके लिये रूप पत्र का निर्धारण मुख्य अभियन्ता द्वारा अलग से किया गया है। खण्ड विकास अधिकारी इस सूचना को सम्बन्धित बैंक एवं सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई को प्रत्येक माह में प्रेषित करेंगे और यदि ऋण स्वीकृत/वितरण

होने के दो माह के अन्दर कृषक द्वारा पम्पसेट स्थापित नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित बैंक द्वारा कृषक से वसूली करने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। पम्पसेट की स्थापना प्रमाण-पत्र देने का दायित्व पत्रावली बनाने वाले कर्मचारी की होगी, जिसका प्रमाण पत्र अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई व खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर से बैंक व सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई को भेजा जायेगा।

(4) ऋण की सम्पूर्ण वसूली होने तक पम्पसेट मानक प्रक्रिया के अनुसार बन्धक रहेगा और कृषक द्वारा इसे बेचा जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।

(5) विभागीय अधिकारी प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अपने स्तर से भी पम्पसेट का सत्यापन दो माह के अन्दर करायेंगे और यदि अनुदान के दुरूपयोग का प्रकरण प्रकाश में आता है तो उसकी सूचना अधिशासी अभियन्ता के द्वारा सम्बन्धित बैंक, जिलाधिकारी तथा मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु दी जायेगी।

(6) सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्था का यह दायित्व होगा कि इस प्रकार प्रकाश में आये दुरूपयोग के प्रकरणों में दिये गये अनुदान की धनराशि की वसूली करके लघु सिंचाई विभाग को वापस उपलब्ध करायें। ऐसे मामलों में अधिशासी अभियन्ता, ल0सिं0 प्रभावी अनुश्रवण करेंगें।

(7) ऋण के मामलों में अनुदान समायोजन न होने वाले मामलों को शासन द्वारा विशेष गम्भीरता से लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी शिथिलता बरतेगा, तो उसके विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(8) ऋण लेने वाले लाभार्थियों को इस बात की पूरी छूट होगी कि यह अपने मनपसन्द के आई0एस0आई0 मार्क पम्पसेट खुले बाजार में किसी भी इंजन/पम्पसेट निर्माता के अधिकृत/पंजीकृत विक्रेता से, जो विभाग में सूचीबद्ध हो, अपनी इच्छानुसार खरीद सकें। बैकों द्वारा पम्पसेट क्रय हेतु आनलाइन भुगतान लाभार्थियों के पक्ष में किया जायेगा।

<u>गुणवत्ता नियंत्रण एवं भौतिक सत्यापनः-</u>

कृषकों द्वारा क्रय किये जा रहे पी0वी0सी0 पाइप, एवं फिटिंग की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु निम्नलिखित निर्देश दिये जा रहे हैः-

1. आई0एस0आई0 मार्क में एक बाक्स के अन्तर्गत अंग्रेजी कैपिटल लेटर में आई0एस0आई0 लिखा रहता है तथा बाक्स के ऊपर आई0एस0 कोड और बाक्स के नीचे लाइसेन्स नम्बर एवं सी0एम0एल0 नम्बर लिखे रहते है। इसके अतिरिक्त पी0वी0सी0 पाइप पर प्रत्येक 3 मीटर पर आई0एस0आई0 मार्क छपा होना चाहिए।
2. कृषक द्वारा क्रय किये जा रहे पी0वी0सी0 पाइप एवं फिटिंग की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु संबंधित सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता भुगतान करने से पूर्व यह पुष्टि करेंगे कि पाइप आपूर्ति करने वाला डीलर/उपडीलर बी0आई0एस0 लाइसेन्स धारी आई0एस0आई0 मार्क पाइप निर्माता फर्म का अधिकृत डीलर/उपडीलर है और उसके द्वारा फर्म से आई0एस0आई0 मार्क पाइप वास्तव में क्रय किया गया है अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता जनपदों के क्षेत्र में भ्रमण के दौरान देखेंगे कि उपयोग किया जा रहा पी0वी0सी0 पाइप, आई0एस0आई0 मार्क है अथवा नहीं।
3. सूचीबद्ध डीलर से रू0 50,000.00 की जमानत धनराशि जमा करायी जाये।
4. सम्बन्धित बोरिंग टैक्नीशियन/सहायक बोरिंग टैक्नीशियन एवं अवर अभियन्ता के द्वारा लक्ष्यों के सापेक्ष शत्–प्रतिशत तथा सहायँक अभियन्ता द्वारा 10 प्रतिशत, अधिशासी अभियन्ता के द्वारा 05 एवं अधीक्षण अभियन्ता के द्वारा 02 प्रतिशत बोरिंगों का निरीक्षण करते हुए यह सत्यापन किया जायेगा कि कृषक की बोरिंग हेतु अधिकृत डीलर द्वारा दिया गया पी0वी0सी0 पाइप, आई0एस0आई0 मार्क है अथवा नहीं। बो0टे0/स0बो0टे0 के द्वारा बोरिंग के पूर्व ही उक्त का अंकन मुख्य अभियन्ता के द्वारा निर्धारित रूपपत्र पर किया जायेगा।
5. पी0वी0सी0 पाइप की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्त प्रस्तरों में वर्णित प्राविधानों/व्यवस्थाओं का पालन सुनिश्चित कराने हेतु अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता उत्तरादायी होगें और इस हेतु उनके द्वारा नियमित मासिक समीक्षा की जायेगी। उक्त वर्णित प्राविधानों/व्यवस्थाओं का पालन सुनिश्चित न किये जाने की दशा में

उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही कराने हेतु मुख्य अभियन्ता उत्तरदायी होगें।

6. कार्यक्रम की सफलता के लिए समयबद्ध ढ़ग से निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों की पूर्ति के साथ गुणवत्ता का उच्च स्तर बनाये रखा जाना आवश्यक होगा। कुल निष्पादित उथले नलकूप कार्यक्रम के भौतिक सत्यापन तथा उथले नलकूप कार्यक्रम में गुणवत्ता बनाये रखने के लिए विभिन्न स्तरों से निरीक्षण/सत्यापन/जांच आवश्यक होगी।

7. अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग द्वारा बोरिंग पूर्ण होने पर इसकी सूचना सहायक अभियन्ता को देंगे तथा कृषक के समक्ष बोरिंग चलाकर रूप पत्र–4 पर उनसे यह प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा कि बोरिंग सफलतापूर्वक कार्य कर रही है।

8. लघु सिंचाई विभाग के विभिन्न स्तरों के अधिकारी/कर्मचारी उक्त गुणवत्ता के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए नियमों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत उत्तरदायी होंगे।

उपर्युक्त के अतिरिक्त कृषकों द्वारा क्रय किये गये पी0वी0सी0 पाइप के सन्दर्भ में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई लक्ष्यों के 0.25 प्रतिशत मामलों में क्षेत्र का भ्रमण कर क्रय किये गये पाइप का नमूना लेकर विस्तृत विवरण सहित अधिशासी अभियन्ता आपूर्ति खण्ड को भेजेंगे। जिन खण्डों में अधिशासी अभियन्ता की नियमित तैनाती नहीं है, सम्बन्धित जनपदों में नमूना लेने का कार्य प्रभारी अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई द्वारा किया जायेगा। अधिशासी अभियन्ता, आपूर्ति खण्ड नमूने की इन्टरनल कोडिंग करते हुए इन नमूनों को परीक्षण हेतु **''सीपेट''** को भेजेंगें और परीक्षण के परिणामों के अनुसार कार्यवाही करेंगे। नमूने लेते समय अधिशासी अभियन्ता के साथ सम्बन्धित सहायक अभियन्ता और अवर अभियन्ता उपस्थित रहेंगे और अवर अभियन्ता द्वारा पी0वी0सी0 पाइप के नमूने का लम्बाई के अनुसार मूल्य आकलित कर नियमानुसार सम्बन्धित कृषकों को भुगतान कर दिया जायेगा तथा इसका वहन उथले नलकूप की कन्टीजेन्सी मद से किया जायेगा। इसके अतिरिक्त **''सीपेट''** से कराये गये परीक्षण हेतु व्यय हुई धनराशि भी सम्बन्धित खण्ड में उपलब्ध उथले नलकूप योजना की कन्टीजेन्सी मद से वहन की जायेगी। अधिशासी अभियन्ता, आपूर्ति खण्ड द्वारा नमूनों के परीक्षण एवं परिणामों के सम्बन्ध में प्रत्येक माह समीक्षा कर आख्या मुख्य अभियन्ता के माध्यम से शासन को प्रेषित की जायेगी। पाइप का नमूना लेते समय निम्न प्रकिया का पालन किया जायेगा –

(i) उपरोक्तानसार सैम्पलिंग की प्रक्रिया के अन्तर्गत पाइप के 02 टुकड़े, प्रत्येक 1.10 मीटर लम्बाई का लिया जायेगा। उपरोक्त दोनों पाइप के टुकड़े एक ही डीलर तथा एक ही पाइप निर्माता के होने चाहिए। परन्तु दोनों टुकड़े एक पाइप से न काट कर अलग-अलग पाइप से काटे जायेंगे।

(ii) पी0वी0सी0 पाइप का सैम्पल केवल उन्ही लाभार्थियों के पाइपों में से लिया जायेगा जो उथले बोरिंग योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किये जा रहें है। सैम्पल बोरिंग/लोअरिंग से पूर्व लिया जायेगा। सैम्पल का टुकडा कृषक के पाइप के एक किनारे से काटा जायेगा, जिस पर आई0एस0आई मोहर एवं बैच नम्बर/लाइसेंस नम्बर/सी0एम0एल0नं0 नियमानुसार पड़ा हो तथा निर्माता की मोहर/ट्रेड मार्क अंकित हो।

(iii) प्रत्येक लिये गये नमूने पाइप पर मार्कर पेन से निम्न अधिकारी/डीलर/लाभार्थी के हस्ताक्षर होंगे, जिनके हस्ताक्षर के नीचे नाम, पदनाम एवं पता अंकित करना होगा।

a. अधिशासी अभियन्ता (ल0सिं0), सहायक अभियन्ता (ल0सिं0), अवर अभियन्ता(ल0सिं0) एवं बोरिंग टैक्नी0/सहा0 बोरिंग टैक्नीशियन लघु सिंचाई।

b. डीलर एवं कृषक लाभार्थी।

यथा सम्भव डीलर की उपस्थिति में ही नमूने (सैम्पुल) लिये जायें। यदि मौके पर उपस्थित डीलर हस्ताक्षर करने से मना करता है तो उस स्थिति में भी नमूना लिया जायेगा, परन्तु सीपेट द्वारा सकारात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ही सम्बन्धित डीलर से उथले नलकूप हेतु भविष्य में पाइप लिया जायेगा।

(iv) नमूने के एक सेट से सम्बन्धित दोनो पाइप को टाट/झाड़न, फर्टिलाइजर अथवा सीमेन्ट प्लास्टिक बैग की खाली बोरी में लपेट कर एक में बांध दिया जाये। उपरोक्तानुसार लिए गये नमूना सेटों को विवरण सहित विशेष पत्रवाहक से आपूर्ति खण्ड, लघु सिंचाई विभाग, लखनऊ को प्रस्तुत किया जाये।

(v) नमूना फेल होने की दशा में डीलर द्वारा जमा जमानत की धनराशि रू0 50,000/- को जब्त करते हुये सम्बन्धित डीलर/उपडीलर को कम से कम तीन वर्ष के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा।

(9) कार्यक्रम में पारदर्शिता रखने के उद्देश्य से पूर्ण की गयी बोरिंग का विवरण jjmup.org Portal/विभागीय पोर्टल (यथा संशोधित) पर अपलोड किया जायेगा, जोकि जन सामान्य के लिये उपलब्ध होगा।

(10) कार्यक्रम की गति बनाये रखने के लिये समय-समय पर क्षेत्रीय समस्याओं के निराकरण के उद्देश्य से ग्राम/क्षेत्र/जिला पंचायत स्तर पर कार्यक्रम का नियमित अनुश्रवण किया जायेगा। विभागीय अधिकारी भी समय-समय पर योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करके मुख्य अभियन्ता (ल0सिं0) को अवगत करायेंगे।

<u>सामान्य निर्देश-</u>

(1) अवर अभियन्ता द्वारा विकास खण्डवार उथले नलकूपों के माडल प्राक्कलन तैयार कर सहायक अभियन्ता के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता को स्वीकृति हेतु भेजे जायेंगे। लघु सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित उथले नलकूप के माडल प्राक्कलन की प्रतियाँ लाभार्थी/कृषक को भी उपलब्ध करायी जायेंगी।

(2) उथले बोरिंग से सम्बन्धित मुख्य नियम, प्राविधान/नियमावाली को लघु सिंचाई विभाग द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत में उपर्युक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जाये।

(3) लाभार्थियों के चयन तथा ऋण लेने के इच्छुक कृषकों को ऋण स्वीकृत करने के स्तर तक की समस्त निर्धारित प्रकियाओं को पूर्ण कराने का दायित्व जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी एवं क्षेत्र पंचायत स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी का रहेगा। प्रार्थना पत्र स्वीकृत करने, उथले नलकूप पूर्ण कराने, अनुदान उपलब्ध कराने एवं कार्यक्रम के क्रियान्वयन का पूर्ण दायित्व जनपद स्तर पर सहायक अभियन्ता(ल0सिं0) एवं खण्ड स्तर पर अधिशासी अभियन्ता (ल0सिं0) का होगा, जो कार्यक्रम के नोडल अधिकारी भी होंगे। निर्मित कार्यो के मानक एवं दर अनुसूची निर्धारित करने का दायित्व सम्बन्धित वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता (ल0सिं0) का होगा। सम्पूर्ण कार्यक्रम का संचालन तथा गुणवत्ता नियन्त्रण का पूर्ण दायित्व मुख्य अभियन्ता (ल0सिं0) का होगा।

(4) कार्यक्रम की वित्तीय एवं भौतिक पाक्षिक/मासिक प्रगति की सूचना निर्धारित प्रपत्रों पर नियमित रूप से अधिशासी अभियन्ता व अधीक्षण

अभियन्ता द्वारा संकलित कर मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी तथा jjmup.org पोर्टल/विभागीय पोर्टल (यथा संशोधित) पर अपलोड किया जायेगा।

(5) कार्यक्रम से संबंधित समस्त पंजिकाओं/रजिस्टरों का निर्धारण मुख्य अभियन्ता द्वारा पृथक से किया जायेगा। योजना के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों के दृष्टिगत आवश्यक निर्देश, मुख्य अभियन्ता के स्तर से निर्गत किये जा सकेंगे।

================ X ===============

ब– ''मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना'' (मध्यम गहरे नलकूप)

प्रदेश के 31 से 60 मीटर गहराई वाले जलग्राही क्षेत्रों में मध्यम गहरे नलकूप कार्यक्रम क्रियान्वित किया जायेगा। कार्यक्रम में सभी जाति/श्रेणी के कृषक पात्र होंगे। उक्त कार्यक्रम में 150–200 एम.एम. व्यास के यू.पी.वी.सी. पाइप (आई.एस. 12818:2010 यथा संशोधित) द्वारा बोरिंग करायी जायेगी। वैसे क्षेत्र जहाँ यू0पी0वी0सी0 पाइप से बोरिंग कराया जाना सम्भव नही हैं, के लिये एम.एस. पाइप (आई0एस0 4270:2001 यथा संशोधित) का प्रयोग अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई से अनुमोदन कराकर किया जायेगा। मध्यम गहरे नलकूप से सृजित सिंचन क्षमता का मानक प्रति नलकूप 10 हेक्टयर है।

कार्यक्रम का उद्देश्यः–

प्रदेश के ऐसे एल्यूवियल क्षेत्रों में जहाँ पर उथले नलकूप का निर्माण कराकर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना कठिन है, उन क्षेत्रों में छोटी/हल्की रिग मशीनों/मेकैनाइज्ड यूनिट द्वारा 31 मीटर से 60 मीटर की गहराई में बोरिंग का निर्माण कराकर कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है।

कृषक–लाभार्थी की पात्रता श्रेणीः–

(a)- मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना (मध्यम गहरे नलकूप) में सभी श्रेणी के कृषक पात्र होंगे किन्तु जो कृषक मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत उथले नलकूप एवं गहरे नलकूप की योजना में पूर्व से लाभान्वित है, उन्हे इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब वे पूर्व योजना के डिफाल्टर न हो तथा ऋण का पूर्ण भुगतान कर चुके हों।

(b)- कृषक द्वारा बोरिंग कराने हेतु वेब–पोर्टल jjmup.org/विभागीय पोर्टल (यथा संशोधित) पर ऑन लाइन आवेदन ही स्वीकार किया जायेगा।

योजना का कार्य क्षेत्र तथा नलकूप निर्माण हेतु मानकः–

(1) योजना प्रदेश के समस्त जनपदों के एल्यूवियल क्षेत्रों (हार्ड राक एरिया को छोडकर) में क्रियान्वयन की जायेगी। अतिदोहित व क्रिटिकल विकास खण्डों में नलकूप का निर्माण नहीं किया जायेगा। योजनान्तर्गत नलकूप स्थल से 300 मीटर के व्यास में कोई मध्यम गहरा/गहरा नलकूप नहीं होना चाहिए।

(2) यह योजना सामान्यतः उन्ही क्षेत्रों मे चलायी जायेगी जहाँ पर भूगर्भ जल स्तर नीचा होने अथवा स्ट्रेटा उपलब्ध न होने के कारण उथली बोरिंग किया जाना कठिन हो। मध्यम गहरे नलकूपों का निर्माण उन्ही क्षेत्रों में किया जायेगा, जहाँ 31 मीटर से 60 मीटर तक गहराई के नलकूप की आवश्यकता होगी।

(3) नलकूप का निर्माण तभी कराया जायेगा जब प्रस्तावित नलकूप से न्यूनतम 6 हेक्टेयर शुद्ध व 10 हेक्टेयर सकल भूमि सिंचित किया जाना संभव होगा। इसमें कृषक की भूमि के अतिरिक्त आस–पास के कृषकों की भूमि सिंचाई हेतु भी सम्मिलित की जा सकेगी, जो लाभार्थी–कृषक से किराये पर सिंचाई सुविधा लेंगे।

(4) ऐसे कृषकों को जो उद्यान विभाग/कृषि विभाग द्वारा संचालित सूक्ष्म सिंचाई पद्धति (ड्रिप/स्प्रिंकलर) सिंचाई प्रणाली अथवा "प्रधानमंत्री कुसुम योजना" से सौर ऊर्जा चालित पम्पसेट का लाभ लेने हेतु कृषि विभाग के पोर्टल http://upagripardarshi.gov.in अथवा यथा संशोधित पोर्टल पर पंजीयन करायेंगे एवं लाभ लेंगे, उन कृषकों को बोरिंग कराने में वरीयता प्रदान की जायेगी।

<u>योजना की लागतः–</u>

इस योजना में एक मध्यम गहरे नलकूप की लागत में ड्रिलिंग, पाइप एवं अन्य सामग्री पर व्यय, पम्प हाउस एवं डिलिवरी टैंक का निर्माण, विद्युतीकरण, विद्युत/डीजल पम्पसेट स्थापना तथा जल–वितरण प्रणाली में होने वाला व्यय सम्मिलित होगा।

<u>अनुमन्य अनुदान–</u>

योजना में समस्त श्रेणी के कृषकों को 31 मीटर से 60 मीटर मध्यम गहरे नलकूप का निर्माण कराये जाने पर नलकूप लागत का 50 प्रतिशत अथवा रू0 1,75,000.00 (रू0 एक लाख पचहत्तर हजार मात्र), जो भी कम हो, का अनुदान अनुमन्य होगा। अगर किसी मामले में वास्तविक ड्रिलिंग के समय गहराई 60 मीटर से अधिक पाई जाती है, तो अनुदान 60 मीटर की गहराई तक ही अनुमन्य होगा। अतिरिक्त व्यय धनराशि का पूर्ण भुगतान कृषक को करना होगा। नलकूप में जल वितरण प्रणाली की स्थापना हेतु रू0 14,000.00 का अनुदान भी अतिरिक्त रूप से अनुमन्य होगा। इस प्रकार

योजना में नलकूप निर्माण पर जल वितरण प्रणाली की लागत को सम्मिलित करते हुये कुल अधिकतम रू0 1,89,000.00 (रू0 एक लाख नवासी हजार मात्र) प्रति नलकूप का अनुदान अनुमन्य होगा।

योजनान्तर्गत निर्मित नलकूपों का ऊर्जीकरण यथा सम्भव ''प्रधानमंत्री कुसुम योजना'' से कराने पर विशेष बल दिया जायेगा। ऐसे क्षेत्र जहाँ ''प्रधानमंत्री कुसुम योजना'' से ऊर्जीकरण सम्भव नहीं है अथवा कृषक इच्छुक नहीं है, वैसे क्षेत्रों के बोरिंगों का ऊर्जीकरण विद्युत के माध्यम से ऊर्जीकरण हेतु उपलब्ध अनुदान से किया जायेगा। मध्यम गहरी बोरिंग योजना में अनुमन्य अनुदान के अतिरिक्त प्रत्येक नलकूप पर ऊर्जीकरण के लिये समय-समय पर विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रति नलकूप अनुमन्य धनराशि (वर्तमान में रू0 68000.00) अथवा वास्तविक लागत जो भी कम हो अनुमन्य होगी। यह धनराशि नलकूप का छिद्रण होने के पश्चात् नलकूप के ऊर्जीकरण हेतु लाभार्थी के नाम सहित उ0प्र0 पावर कारपोरेशन को उपलब्ध करायी जायेगी। विद्युतीकरण की लागत यदि रू0 68,000/- से अधिक आती है तो अनुदान की धनराशि रू0 68,000/- को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि विद्युत विभाग के द्वारा लाभार्थी कृषक से जमा करायी जायेगी। यदि सभी लाभार्थियों द्वारा ऊर्जीकरण न कराये जाने की स्थिति आती है तो प्रत्येक वर्ष माह दिसम्बर के अंत तक लक्ष्यों में संशोधन का प्रस्ताव मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा, तद्नुसार मुख्य अभियन्ता के स्तर से अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित किये जायेंगे। इस प्रकार बचत की धनराशि से अतिरिक्त नलकूप का निर्माण कराया जा सकेगा।

योजनान्तर्गत नलकूप के विद्युतीकरण हेतु विभाग में ''आनलाइन पंजीकरण/भुगतान'' होने की स्थिति में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के अतिरिक्त यह भी विकल्प होगा कि यदि कृषक आकलन के अनुसार पूर्ण धनराशि विद्युत विभाग में जमा कर देता है तो प्राप्ति रसीद की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर अधिशासी अभियन्ता की पूर्ण सन्तुष्टि के उपरान्त निर्धारित अनुदान राशि सीधे कृषक के खाते में हस्तान्तरित की जा सकेगी। उक्त हेतु कृषक को नोटरी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि उस सम्बन्धित नलकूप के ऊर्जीकरण हेतु अन्य कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।

<u>नलकूप निर्माण की प्रक्रिया एवं अनुदान की स्वीकृति–</u>

(1) इच्छुक एवं पात्र कृषक मध्यम गहरे नलकूप योजना में नलकूप निर्माण हेतु अपना प्रार्थना पत्र मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा निर्धारित रूपपत्र पर निर्धारित सर्वेक्षण शुल्क रू0 1500 (रू0 एक हजार पाँच सौ मात्र)/यथा संशोधित सहित अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई से पूर्ण कराकर सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई को उपलब्ध करायेंगे तथा सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई इसकी सूचना अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग को प्रेषित करेंगे। प्रत्येक कृषक के आवेदन पत्र को jjmup.org /विभागीय पोर्टल (यथा संशोधित) पर प्रस्तुत करना होगा।

(2) अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई, भूगर्भ जल विभाग/रिमोट सेन्सिंग विभाग अथवा विभाग द्वारा अनुमोदित प्राईवेट एजेन्सी से जैसी भी स्थिति हो, नलकूप हेतु बोरिंग की उपयुक्तता के सम्बन्ध में 15 दिन में रिपोर्ट प्राप्त करेंगे। बोरिंग स्थल उपयुक्त पाये जाने की दशा में सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई, नलकूप निर्माण हेतु प्राक्कलन बनायेंगे और धन की आवश्कयता को अंकित करते हुए सम्बन्धित कृषक को सूचना 7 दिन के अन्दर भेजेंगे। कृषक अपनी आवश्यकता के अनुसार बैक से ऋण अथवा निजी संशाधनों से धन जमा करेगा। साइट के अनुपयुक्त पाये जाने के दशा में कृषक का प्रार्थना पत्र सहायक अभियन्ता, ल0 सिं0, अस्वीकृत करते हुए कृषक को इसकी सूचना देंगे।

(3) स्थलीय सर्वेक्षण में स्थल उपयुक्त पाये जाने पर अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता (ल0सिं0) नलकूप की बोरिंग हेतु प्राक्कलन तैयार कर अधिशासी अभियन्ता को स्वीकृति हेतु प्रेषित करेंगे तथा एक प्रति कृषक को भी उपलब्ध करायेंगे। प्राक्कलन की धनराशि का 50 प्रतिशत या अनुमन्य अनुदान एवं प्राक्कलन के अन्तर की धनराशि जो भी अधिक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कृषक से जमा कराकर कृषक की बोरिंग पर कार्य वरीयता क्रम में करायेंगे तथा इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्रों का कृषकवार वरीयता क्रम में विवरण मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित रूपपत्र पर प्राथमिकता रजिस्टर में अंकित कर रखा जायेगा, जो निरीक्षण के समय अधिकारियों को उपलब्ध रहेगा।

(4) नलकूप निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व कृषक को 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का अनुबन्ध करना होगा कि वह प्राप्त अनुदान एव ऋण का दुरूपयोग नहीं करेगा और निर्मित बोरवेल में निर्मित नलकूप एवं जल वितरण प्रणाली से सम्बन्धित समस्त निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्दर अवश्य पूर्ण कर लेगा। उक्त अनुबन्ध का प्रारूप मुख्य अभियन्ता (ल0सिं0) द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(5) बोरिंग के समय बोरिंग स्थल की बैरीकेडिंग कृषक द्वारा अनिवार्य रूप से स्वयं करायी जायेगी, जिससे बच्चों के कूप में गिरने व अन्य को दुर्धटनाओं से बचाया जा सके।

<u>निजी स्रोतों से नलकूप निर्माण की प्रकिया के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी–</u>

(i) कृषक का बोरिंग स्थल उपयुक्त पाये जाने पर सहायक अभियन्ता द्वारा अनुमानित व्यय का प्राक्कलन कृषक को उपलब्ध कराया जायेगा। प्राक्कलन के अनुसार कृषक को बोरवेल की लागत (ड्रिलिंग तथा पाअप एवं अन्य सामग्री) पर होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत या अनुमन्य अनुदान एवं प्राक्कलन के अन्तर जो भी अधिक हो की धनराशि विभाग में जमा करना होगा। कृषक द्वारा उक्त धन जमा कराये जाने के उपरान्त वरीयता कम निर्धारित किया जायेगा। विभाग द्वारा कृषक की उक्त जमा धनराशि एवं अनुमन्य अनुदान से स्वीकृत एवं आहरित करके सामग्री आदि की व्यवस्था की जायेगी तथा उपलब्ध धनराशि के अन्दर ड्रिलिंग एवं एसेम्बली लोवर करने का कार्य वरीयता कम में एक माह के अन्दर पूर्ण कर लिया जायेगा।

(ii) बोरवेल निर्मित होने के उपरान्त नलकूप निर्माण में डीजल पम्पसेट/विद्युत पम्पसेट, सबमर्सिबल पम्प आदि जो आवश्यक हो के हार्स पावर इत्यादि के सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता द्वारा, निर्धारित प्रारूप पर कृषक को परामर्श दिया जायेगा तथा इसका कय कृषक द्वारा स्वयं किया जायेगा। बोरिंग कार्य पूर्ण हो जाने पर अधिकतम रू0 1,75,000/-(रू0 एक लाख पचहत्तर हजार मात्र) तक अनुमन्य अनुदान का लाभ सत्यापन/मूल्यांकन के उपरान्त कृषक को उपलब्ध कराया जायेगा। कृषक के अनुरोध पर आई0एस0आई0 मार्क डीजल पम्पसेट/विद्युत पम्पसेट,

सबमर्सिबल पम्प का कोटेशन/बिल विक्रेता से प्राप्त कर सहायक अभियन्ता (ल0सिं0) को उपलब्ध कराने पर विभाग द्वारा बोरिंग कार्य के उपरान्त अवशेष अनुदान की धनराशि में से पम्पसेट के मूल्य का अधिकतम 50 प्रतिशत अथवा अनुमन्य अनुदान की अवशेष जो भी कम हो धनराशि डीजल पम्पसेट/विद्युत पम्पसेट, सबमर्सिबुल पम्प के विक्रेता को कृषक द्वारा अधिकार पत्र देने पर ऑनलाइन 15 दिन के अन्दर सीधे बैंक खाते में भुगतान की जायेगी। शेष धनराशि की व्यवस्था कृषक द्वारा स्वयं की जायेगी। ऐसे मामलों में जहां कृषक डीजल पम्पसेट/विद्युत पम्पसेट, सबमर्सिबल पम्प क्रय कर लेता है तो कार्य प्रभारी अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई के द्वारा सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर बोरिंग कार्य के उपरान्त अवशेष अनुदान में से डीजल पम्पसेट/विद्युत पम्पसेट, सबमर्सिबल पम्प के मूल्य का अधिकतम 50 प्रतिशत अथवा अनुमन्य अनुदान की अवशेष धनराशि जो भी कम हो का भुगतान सीधे कृषक के बैंक खाते में किया जायेगा।

(iii) कृषक द्वारा पम्प हाऊस इत्यादि का निर्माण कर देने के उपरान्त सहायक अभियन्ता(ल0सिं0) को सूचित किया जायेगा तथा सहायक अभियन्ता(ल0सिं0) द्वारा 15 दिन के अन्दर स्थल का निरीक्षण करने के उपरान्त अनुदान के समायोजन के सम्बन्ध में संस्तुति की जायेगी तथा अनुदान का समायोजन करते हुये यदि कृषक की जमा धनराशि एवं अनुमन्य अनुदान की धनराशि में से कोई धनराशि शेष बचती है तो यह कृषक को सीधे बैंक खाते में वापस कर दी जायेगी। जिन नलकूपों का विद्युतीकरण कराया जाना है, उनके ऊर्जीकरण के लिए विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रति नलकूप अनुमन्य धनराशि (वर्तमान में रू0 68,000/-) अथवा वास्तविक लागत जो भी कम हो लाभार्थी के नाम सहित उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को उपलब्ध करा दी जायेगी। विद्युतीकरण की लागत यदि रू0 68,000/- से अधिक आती है तो अनुदान की धनराशि रू0 68,000/- को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि विद्युत विभाग के द्वारा लाभार्थी कृषक से जमा करायी जायेगी। यदि सभी लाभार्थियों द्वारा ऊर्जीकरण न कराये जाने की स्थिति आती है तो प्रत्येक वर्ष माह दिसम्बर के अंत तक लक्ष्यों में संशोधन का प्रस्ताव

मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा, तत्पश्चात् कृषक का लेखा बन्द कर दिया जायेगा।

(iv) बोरिंग असफल होने की स्थिति में कृषक द्वारा जमा किये धन में से विभाग द्वारा किये गये कुल व्यय का 10 प्रतिशत् अथवा रू0 2000/- जो भी कम हो, काटकर शेष राशि कृषक को वापस कर दी जायेगी।

ऋण द्वारा नलकूप निर्माण की प्रक्रिया–

(1) लघु सिंचाई विभाग के प्राक्कलन के आधार पर सम्बन्धित बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किया जायेगा। ऋण केवल उतनी ही मात्रा में स्वीकृत किया जायेगा जो अनुमन्य अनुदान की राशि को घटाकर शेष बचता है। कृषक आंशिक व्यय अपने स्रोतों से भी वहन कर सकता है।

(2) बैंक द्वारा एक माह के अन्दर ऋण की स्वीकृति प्रदान की जायेगी तथा उसकी स्वीकृति की सूचना सम्बन्धित कृषक एवं विभाग को दी जायेगी। विभाग के अनुरोध पर ऋण की धनराशि बैंक द्वारा विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। विभाग द्वारा अनुमन्य अनुदान की धनराशि एवं बैंक द्वारा उपलब्ध करायी गयी स्वीकृत धनराशि आहरित कर सामग्री इत्यादि की व्यवस्था की जायेगी एवं बोरवेल का निर्माण बैंक द्वारा धनराशि उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त यथा सम्भव एक माह के अन्दर किया जायेगा। बोरवेल का निर्माण होने की सूचना सहायक अभियन्ता (ल0सिं0) द्वारा सम्बन्धित बैंक को दी जायेगी और यदि अनुमन्य अनुदान में से कोई धनराशि अवशेष बचती है तो वह विभाग द्वारा सम्बन्धित बैंक में कृषक के खाते में जमा करा दी जायेगी।बोरवेल के निर्माण के उपरान्त डीजल पम्पसेट/विद्युत पम्पसेट, सबमर्सिबल पम्प के हार्स पावर इत्यादि के विषय में कृषक को विभाग द्वारा परामर्श दिया जायेगा। कृषक बाजार में उपलब्ध अपनी मन पसन्द आई0एस0आई0 मार्क डीजल पम्पसेट/विद्युत पम्पसेट, सबमर्सिबल पम्प का कोटेशन बिल विक्रेता से प्राप्त कर बैंक को उपलब्ध करायेगा। बैंक द्वारा उपलब्ध अवशेष अनुदान एवं ऋण की धनराशि में से डीजल पम्पसेट/विद्युत पम्पसेट, सबमर्सिबल पम्प क्रय हेतु आवश्यक धनराशि पम्पसेट विक्रेता को 15 दिन के अन्दर भुगतान की जायेगी।

(3) डीजल पम्पसेट/विद्युत पम्पसेट, सबमर्सिबल पम्प क्रय हेतु धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त कृषक द्वारा 15 दिन के अन्दर डीजल पम्पसेट/विद्युत पम्पसेट, सबमर्सिबल, पम्प क्रय कर स्थापित किया जायेगा। डीजल पम्पसेट/विद्युत पम्पसेट, सबमर्सिबल पम्प स्थापित होने की सूचना कृषक द्वारा सम्बन्धित बैंक एवं सहायक अभियन्ता (ल०सिं०) को दी जायेगी। तदोपरान्त सहायक अभियन्ता (ल०सि०) 15 दिन के अन्दर स्थल का निरीक्षण कर स्थापित पम्पसेट का सत्यापन करते हुए विद्युत कनेक्शन एवं पम्प हाऊस इत्यादि के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त करने के लिये संबंधित बैंक को अपनी संस्तुति देंगे। बैंक द्वारा विद्युत कनेक्शन हेतु आवश्यक धनराशि उ०प्र० पावर कार्पोरेशन को पृष्ठांकित कर भुगतान की जायेगी तथा पम्प हाऊस इत्यादि के निर्माण हेतु धनराशि कृषक को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त की सूचना बैंक द्वारा विभाग को दी जायेगी।

(4) कृषक द्वारा पम्प हाउस इत्यादि के निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि से पम्प हाउस एवं अन्य जो भी कार्य प्रस्तावित है, का निर्माण एक माह के अन्दर करा लिया जायेगा और इसकी सूचना संबंधित बैंक तथा सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई को दी जायेगी। सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई द्वारा सूचना प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर स्थल का निरीक्षण कर अनुदान के समायोजन के संबंध में संस्तुति की जायेगी। जिसके आधार पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा अनुदान समायोजित किया जायेगा और इसकी सूचना बैंक को दी जायेगी।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुः–

(1) एसेम्बली लोवरिंग का कार्य सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई से लोवरिंग चार्ट का अनुमोदन कराकर, कार्य प्रभारी अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई की उपस्थिति में किया जायेगा।

(2) सामग्री के क्रय की व्यवस्था समय–समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों के अन्तर्गत विभाग के आपूर्ति खण्ड के द्वारा भण्डार क्रय नियमों के अन्तर्गत जेम पोर्टल से की जायेगी।

(3) बोरिंग से कम से कम 4 लीटर प्रति सेकेण्ड अर्थात लगभग 3200 गैलन प्रतिघंटा का डिस्चार्ज प्राप्त होने पर बोरिंग को सफल घोषित किया जायेगा।

(4) मध्यम नलकूपों का निर्माण छोटी/हल्की रिग मशीनों अथवा प्राइवेट मेकैनाइज्ड बोरिंग यूनिटों से कराया जायेगा। प्राइवेट मेकैनाइज्ड बोरिंग यूनिट की विशिष्टियाँ मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा निश्चित की जायेगी। प्राइवेट रिग मशीनों से सम्बन्धित फर्म का पंजीकरण सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई करेंगे, जिस हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता समाचार पत्रों में व्यापक प्रसार करते हुए पंजीकरण सूचना प्रकाशित कराकर व पंजीकरण सम्बन्धी समस्त आपैचारिकताओं को पूर्णकर अपनी संस्तुति अधीक्षण अभियन्ता को प्रेषित करेंगे साथ ही प्राइवेट मेकैनाइज्ड बोरिंग करने वाली फर्म का पंजीकरण जनपद स्तर पर http://upgwdonline.in website पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। अधीक्षण अभियन्ता के स्तर पर फर्मो के पंजीकरण के उपरान्त सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के स्तर पर फर्म से रू0 1.00 लाख की जमानत धनराशि जमा करायी जायेगी।

(5) विभाग द्वारा की गयी बोरिंग असफल होने पर सहायक अभियन्ता सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को रिपोर्ट भेजेंगे। अधिशासी अभियन्ता ल0सिं0 एवं सर्वेक्षण एजेन्सी के प्रतिनिधि मौके पर नलकूप का निरीक्षण करने के उपरान्त मुख्य अभियन्ता, ल0सिं0 विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर निर्णय लेकर संयुक्त रूप से बोंरिंग असफल घोषित करेंगे। बोरिंग के असफल होने की स्थिति में कृषक के जमा धन से इस पर हुये व्यय का 10 प्रतिशत् अथवा अधिकतम रू0 2000.00 (रू0 दो हजार मात्र) काटकर शेष धनराशि कृषक को बैंक खाते में वापस कर दी जायेगी।

(6) हस्तान्तरण उपरान्त नलकूप का रख-रखाव कृषक द्वारा स्वयं किया जायेगा।

(7) बोरिंग पूर्ण होने के उपरान्त एक वर्ष तक यदि कृषक अन्य निर्माण कार्य पूर्ण कर लेता है, तो ही उसे अनुदान देय होगा। अन्यथा स्थिति में यदि

कोई अनुदान अवशेष बचता है तो उसे अधिशासी अभियन्ता द्वारा राजस्व मद में जमा कर दिया जायेगा।

(8) नलकूपों के निर्माण एवं जल वितरण प्रणाली हेतु बजटीय आवंटन से उपलब्ध धनराशि तथा कृषक द्वारा जमा की गयी धनराशि को जोड़कर कुल उपलब्ध धनराशि में से पहले बजटीय आवंटन रू0 1,89,000.00 का उपयोग किया जाये तथा उसके उपरान्त कृषक द्वारा जमा धनराशि का उपयोग इस प्रतिबन्ध के साथ किया जाये कि मध्यम नलकूप के निर्माण तथा जल वितरण प्रणाली की स्थापना हेतु 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम रू0 1,75,000.00 एवं रू0 14,000.00 क्रमशः देय होगा।

(9) कार्यक्रम से संबंधित समस्त पंजिकाओं/रजिस्टरों का निर्धारण मुख्य अभियन्ता द्वारा पृथक से किया जायेगा। योजना के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों के दृष्टिगत आवश्यक निर्देश, मुख्य अभियन्ता के स्तर से निर्गत किये जा सकेंगे।

वार्षिक लक्ष्य का निर्धारण–

प्रत्येक वर्ष योजना के अन्तर्गत स्वीकृत परिव्यय के अनुरूप लक्ष्यों का निर्धारण पृथक से मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई के द्वारा किया जायेगा। आवश्यकतानुसार जनपदों के लिये निर्धारित लक्ष्यों में संशोधन भी मुख्य अभियन्ता अपने स्तर से करेंगे।

ड्राइंग, मानक एवं दर का निर्धारण–

(1) योजना के अन्तर्गत निर्मित नलकूपों तथा अन्य कार्यों की डिजाइन एवं ड्राइंग का निर्धारण एवं स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता लघु सिंचाई द्वारा प्रदान की जायेगी तथा विभिन्न कार्यों हेतु दरों के निर्धारण के लिये अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई उत्तरदायी होंगे। योजना के अन्तर्गत समस्त कार्य अधीक्षण अभियन्ता लघु सिंचाई द्वारा निर्धारित विशिष्टियों, मानकों एवं दरों के अनुसार ही किये जायेंगे।

बोरिंग हस्तानान्तरण के उपरान्त फेल होने पर निर्देशः–

इस सम्बन्ध में निर्देश निम्नानुसार हैः–

(1) बोरिंग हैण्डओवर होने के 6 माह के अन्दर (जिसमें यह माना गया है कि कृषक ने एक सीजन की सिंचाई कर ली होगी) यदि बोरिंग फेल होती है और निम्नलिखित में से कोई एक अथवा अधिक दोष प्रकाश में

आते हैं, तो विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों का दायित्व निर्धारित किया जायेगा।

(I) उपयुक्त सही साईज का एवं समुचित मात्रा में पी–ग्रेविल का न डाला जाना।
(II) बोरिंग का विकास सही ढंग से न किया जाना।
(III) ड्रिलिंग सही/सीधा न होना।
(IV) सामग्री के प्रयोग में कमी।
(V) अधोमानक सामग्री का होना।
(VI) वर्कमैनशिप में कमी।

(2) यदि बोरिंग का 6 माह अथवा एक सीजन में उपयोग हो गया है और उपरोक्त अवधि में बोरिंग ठीक ढंग से कार्य करती रही है तो विभाग का दायित्व न मानते हुये कृषक की शिकायत पर कोई कार्यवाही अपेक्षित न होगी। उपरोक्त के सम्बन्ध में केवल लिखित शिकायत का ही संज्ञान लिया जायेगा।

(3) विभागीय दोष के कारण बोरिंग असफल होने की दशा में उत्तरदायित्व का निर्धारण पूर्व में विभाग द्वारा संचालित मध्यम गहरे नलकूप योजना हेतु निर्गत शासनादेश संख्या 216/62–2–2013–2/2(10)/2012, दिनांक 11.02.2013 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

(4) पुनः बोरिंग किये जाने का निर्णय लेने पर व्यय भार के वहन हेतु अतिरिक्त बजट की आवश्यकता नहीं होगी, अपितु इसका वहन विभागीय स्टॉक सेविंग/कन्टीजेन्सी से किया जायेगा।

(5) उत्तरदायित्व निर्धारण के पश्चात् पुनः बोरिंग कराने पर हुये व्यय की वसूली संबंधित कर्मचारी/अधिकारी से वित्तीय नियमों के अन्तर्गत करते हुये धनराशि को राजस्व मद में जमा किया जायेगा।

<u>सामग्री क्रय की व्यवस्था–</u>

मुख्यमंत्री लघु सिंचाई मध्यम गहरे नलकूप योजना के अन्तर्गत क्रय किये जाने वाले पाइप/एच.डी.पी.ई पाइप को प्राप्त बजट एवं कृषकों द्वारा जमा धनराशि से जेम पोर्टल के माध्यम से सुसंगत शासनादेशों एवं भण्डार क्रय नियमों के अनुरूप केन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत आपूर्ति खण्ड के द्वारा की जायेगी।

<u>अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण–</u>

(1) यह योजना महत्वपूर्ण है तथा विभिन्न स्तरों पर इसकी गुणवत्ता की चेकिंग किया जाना आवश्यक है। इस योजना के सघन अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के लिये जनपद स्तर पर सहायक अभियन्ता, खण्ड स्तर पर अधिशासी अभियन्ता एवं वृत्त स्तर पर अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे तथा वह इस योजना की प्रगति की पाक्षिक समीक्षा भी करेंगे एवं उसे मुख्य अभियन्ता को प्रेषित किया जायेगा तथा फील्ड में आने वाली कठिनाईयों का निराकरण तत्काल सुनिश्चित करेंगे।

(2) अवर अभियन्ता समस्त कार्यो हेतु पूर्णतया उत्तरदायी होगें तथा योजना में निर्मित कार्यो का कम से कम 50 प्रतिशत् सत्यापन सहायक अभियन्ता, द्वारा 20 प्रतिशत् अधिशासी अभियन्ता द्वारा एवं 10 प्रतिशत् अधीक्षण अभियन्ता द्वारा किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उच्चतर अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी द्वारा किये गये सत्यापन से अतिरिक्त कार्यो का सत्यापन करें।

(3) उपरोक्त योजना के प्रदेश स्तर पर क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण का दायित्व मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई का होगा।योजना के क्रियान्वयन के संबंध में अपेक्षित प्रार्थना–पत्र/अनुबन्ध एवं लेखा–जोखा रखने की प्रक्रिया व प्रगति संबंधी प्रारूप का निर्धारण मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई अपने स्तर से निर्धारित कर क्षेत्रीय अधिकारियों को समुचित निर्देश के साथ निर्गत करेंगे।

(4) उक्त योजनान्तर्गत सभी नलकूपों की जियो टैगिंग अनिवार्य रूप से करायी जायेगी, जिसकी जी0पी0एस0 लोकेशन (अक्षांश व देशान्तर) का अंकन लाभार्थी कृषकों की सूची पंजिका में अंकित किया जायेगा।

(5) प्रगति का अंकन jjmup.org/विभागीय पोर्टल (यथा संशोधित) पर किया जायेगा।

=============== X ==============

स– "मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना" (गहरे नलकूप)

कार्यक्रम का उद्देश्यः–

प्रदेश के उन क्षेत्रों, जहाँ पर गिरते हुये अथवा गहरे जल स्तर के कारण मुख्य मंत्री लघु सिंचाई योजना (उथले नलकूप, मध्यम गहरे नलकूप) बोरिंग योजना के अन्तर्गत सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है, में भारी रिग मशीनों द्वारा मुख्यमंत्री सिंचाई योजना "गहरे नलकूप"(61 मी0 से 90 मी0 तक) के निर्माण से निजी क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराना कार्यक्रम का उद्देश्य है। कार्यक्रम में सभी जाति/श्रेणी के कृषक पात्र होंगे। उक्त कार्यक्रम में 150–200 एम.एम. व्यास के यू.पी.वी.सी. पाइप (आई.एस. 12818:2010 यथा संशोधित) द्वारा बोरिंग करायी जायेगी। वैसे क्षेत्र जहां पी0वी0सी0 पाइप से बोरिंग कराया जाना सम्भव नही हैं, के लिये एम.एस. पाइप (आई0एस0 4270:2001 यथा संशोधित) का प्रयोग अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई से अनुमोदन कराकर किया जायेगा। गहरे नलकूप से सृजित सिंचन क्षमता का मानक प्रति नलकूप 12 हेक्टेयर है।

कृषक–लाभार्थी की पात्रता श्रेणीः–

(a) - योजना में सभी श्रेणी के कृषक पात्र होंगे, किन्तु जो कृषक मुख्य मंत्री लघु सिंचाई योजना (उथले नलकूप, मध्यम गहरे नलकूप) में पूर्व से लाभान्वित हैं, उन्हें इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब वे पूर्व योजना के डिफाल्टर न हो तथा ऋण का पूर्ण भुगतान कर चुके हों। यदि कृषक संयुक्त रूप से नलकूप स्थापित कराना चाहते है तो योजना के अन्तर्गत एक से अधिक सदस्यों को संयुक्त रूप से लाभान्वित कराया जायेगा जिनके खेत प्रस्तावित नलकूप से सिंचित हो सके।

(b) – कृषक द्वारा बोरिंग कराने हेतु वेब–पोर्टल jjmup.org/विभागीय पोर्टल (यथा संशोधित) पर ऑन लाइन आवेदन ही स्वीकार किया जायेगा।

(c) – ऐसे कृषकों को जो उद्यान विभाग/कृषि विभाग द्वारा संचालित सूक्ष्म सिंचाई पद्धति (ड्रिप/स्प्रिंकलर) सिंचाई प्रणाली अथवा **'प्रधानमंत्री कुसुम योजना'** से सौर ऊर्जा चालित पम्पसेट का लाभ लेने हेतु कृषि विभाग के पोर्टल http://upagripardarshi.gov.in अथवा यथा संशोधित पोर्टल पर पंजीयन करायेंगे एवं लाभ लेंगे, उन कृषकों को बोरिंग कराने में वरीयता प्रदान की जायेगी।

क्रियान्वयन का क्षेत्र तथा नलकूप निर्माण हेतु मानकः-

(1) योजना के अन्तर्गत अतिदोहित/क्रिटिकल विकास खण्डों में नलकूप निर्माण का कार्य नहीं कराया जायेगा। योजना के अन्तर्गत नलकूप निर्माण उन्हीं क्षेत्रों में कराया जायेगा, जहां पर 500 मीटर के व्यास में मध्यम गहरे/गहरे नलकूपों का निर्माण न कराया गया हो अथवा भूमि जल स्तर नीचे होने के कारण उथली बोंरिग/मध्यम गहरी बोरिंग सम्भव न हो। गहरे नलकूपों का निर्माण उन्हीं क्षेत्रों में कराया जायेगा, जहॉ पर हैवी रिग मशीन से 60 मीटर से 90 मी0 तक गहरे नलकूप के निर्माण की आवश्यकता हो। डी.टी.एच रिग मशीन से बुन्देलखण्ड एवं अन्य पठारी क्षेत्र के जनपदों में कराये जाने पर न्यूनतम गहराई का प्रतिबन्ध नहीं होगा।

(2) नलकूपों का निर्माण तभी कराया जाये, जब प्रस्तावित नलकूप से न्यूनतम 12 हेक्टयर शुद्ध व 20 हे0 सकल भूमि सिंचित की जानी सम्भव हो। इसमें कृषक की भूमि के अतिरिक्त आस-पास के कृषकों की भूमि सिंचाई हेतु भी सम्मिलित की जा सकती है, जो लाभार्थी से किराये पर सिंचाई सुविधा लेंगे।

(3) ऐसे कृषकों को जो उद्यान विभाग/कृषि विभाग द्वारा संचालित सूक्ष्म सिंचाई पद्धति (ड्रिप/स्प्रिंकलर) सिंचाई प्रणाली का लाभ लेने हेतु कृषि विभाग के पोर्टल http://upagripardarshi.gov.inअथवा यथा संशोधित पोर्टल पर पंजीयन करायेगें एवं लाभ लेगें, उन कृषकों को बोरिंग कराने में वरीयता प्रदान की जायेगी।

परियोजना लागतः-

इस योजना हेतु एक नलकूप में ड्रिलिंग, पाअप एवं अन्य सामग्री पर व्यय, पम्प हाउस एवं सम्पवेल का निर्माण, विद्युत/डीजल पम्पसेट, जल वितरण प्रणाली तथा विद्युत कनेक्शन पर होने वाला व्यय सम्मिलित होगा जिसमें नलकूप का निर्माण, पम्पसेट की स्थापना तथा पम्प हाउस का निर्माण आवश्यक होगा।

अनुमन्य अनुदानः-

सम्पूर्ण प्रदेश में सभी श्रेणी के कृषकों को हैवी रिंग मशीन से 61 से 90 मी0 गहराई एवं बुन्देलखण्ड एवं अन्य जनपदों के पठारी क्षेत्र में डी.टी.एच. रिग मशीन से नलकूप निर्माण हेतु लागत का 50 प्रतिशत अथवा रू0 2.65

लाख जो भी कम हो का अनुदान अनुमन्य होगा। अगर किसी मामले में वास्तविक ड्रिलिंग के समय गहराई 90मी0 से अधिक पायी जाती है, तो अनुदान 90 मी0 की गहराई तक ही अनुमन्य होगा। अतिरिक्त गहराई पर होने वाले व्यय की धनराशि का पूर्ण भुगतान कृषक को करना होगा। उक्त के अतिरिक्त जल वितरण प्रणाली हेतु एच0डी0पी0ई0 पाअप सिंचाई प्रणाली की स्थापना हेतु लागत का 50 प्रतिशत् अधिकतम रू0 0.14 लाख का अनुदान अनुमन्य होगा। योजनान्तर्गत निर्मित नलकूपों का ऊर्जीकरण यथा सम्भव ''प्रधानमंत्री कुसुम योजना'' से कराने पर विशेष बल दिया जायेगा। ऐसे क्षेत्र जहाँ ''प्रधानमंत्री कुसुम योजना'' से ऊर्जीकरण सम्भव नही है अथवा कृषक इच्छुक नहीं है, वैसे क्षेत्रों के बोरिंगों का ऊर्जीकरण विद्युत के माध्यम से ऊर्जीकरण हेतु उपलब्ध अनुदान से किया जायेगा। गहरी बोरिंग योजना में अनुमन्य अनुदान के अतिरिक्त प्रत्येक नलकूप पर ऊर्जीकरण के लिये समय-समय पर विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रति नलकूप अनुमन्य धनराशि (वर्तमान में रू0 68000.00) अथवा वास्तविक लागत जो भी कम हो अनुमन्य होगी। यह धनराशि नलकूप का छिद्रण होने के पश्चात् नलकूप के ऊर्जीकरण हेतु लाभार्थी के नाम सहित उ0प्र0 पावर कारपोरेशन को उपलब्ध करायी जायेगी। विद्युतीकरण की लागत यदि रू0 68,000/- से अधिक आती है तो अनुदान की धनराशि रू0 68,000/- को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि विद्युत विभाग के द्वारा लाभार्थी कृषक से जमा करायी जायेगी। उसके उपरान्त भी यदि सभी लाभार्थियो द्वारा ऊर्जीकरण न कराये जाने की स्थिति आती है तो प्रत्येक वर्ष माह दिसम्बर के अंत तक लक्ष्यों में संशोधन का प्रस्ताव मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। तद्नुसार मुख्य अभियन्ता के स्तर से अतिरिक्त लक्ष्य आवंटन किये जायेंगे। इस प्रकार बचत की धनराशि से अतिरिक्त नलकूप का निर्माण कराया जा सकेगा।

योजनान्तर्गत नलकूप के विद्युतीकरण हेतु विभाग में ''आनलाइन पंजीकरण/भुगतान'' होने की स्थिति में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के अतिरिक्त यह भी विकल्प होगा कि यदि कृषक आकलन के अनुसार पूर्ण धनराशि विद्युत विभाग में जमा कर देता है तो प्राप्ति रसीद की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर अधिशासी अभियन्ता की पूर्ण सन्तुष्टि के उपरान्त निर्धारित अनुदान राशि सीधे कृषक के खाते में हस्तान्तरित की जा सकेगी। उक्त हेतु कृषक को नोटरी

शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उस सम्बन्धित नलकूप के ऊर्जीकरण हेतु अन्य कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।

<u>अनुदान की स्वीकृति एवं नलकूप निर्माण हेतु प्रकियाः–</u>

(1) इच्छुक एवं पात्र कृषक उक्त योजना में नलकूप निर्माण हेतु इच्छुक होंगे व अपना प्रार्थना पत्र मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा निर्धारित रूपपत्र पर निर्धारित सर्वेक्षण शुल्क रू0 1500 (रू0 एक हजार पॉच सौ मात्र)/यथा संशोधित सहित अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई से पूर्ण, कराकर सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई को उपलब्ध करायेंगे तथा सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई इसकी सूचना अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग को प्रेषित करेंगे तथा प्रत्येक कृषक का फोटोग्राफ, मोबाइल नम्बर एवं आधार कार्ड आदि पत्रावली में भी सुरक्षित रखे जायेंगे।

(2) अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई, भूगर्भ जल विभाग/रिमोर्ट सेन्सिंग विभाग अथवा विभाग द्वारा अनुमोदित प्राईवेट एजेन्सी से जैसी भी स्थिति हो, नलकूप हेतु बोरिंग की उपयुक्तता के सम्बन्ध में 15 दिन में रिपोर्ट प्राप्त करेंगें। बोरिंग स्थल उपयुक्त पाये जाने की दशा में सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई, नलकूप निर्माण हेतु प्राक्कलन बनायेंगे और धन की आवश्कयता को अंकित करते हुए सम्बन्धित कृषक को सूचना 7 दिन के अन्दर भेजेंगे। कृषक अपनी आवश्यकता के अनुसार बैक से ऋण अथवा निजी संसाधनों से धन जमा करेगा। साइट के अनुपयुक्त पाये जाने के दशा में कृषक का प्रार्थना पत्र सहायक अभियन्ता, ल0 सिं0, अस्वीकृत करते हुए कृषक को इसकी सूचना देंगे।

(3) स्थलीय सर्वेक्षण में स्थल उपयुक्त पाये जाने पर सहायक अभियन्ता (ल0सि0) नलकूप की बोरिंग हेतु प्राक्कलन तैयार कर अधिशासी अभियन्ता को स्वीकृति हेतु प्रेषित करेंगे तथा एक प्रति कृषक को भी उपलब्ध करायेंगे। प्राक्कलन की धनराशि का 50 प्रतिशत या अनुमन्य अनुदान एवं प्राक्कलन के अन्तर की धनराशि जो भी अधिक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कृषक से जमा कराकर कृषक की बोरिंग पर कार्य वरीयता कम में करायेंगे तथा इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्रों का कृषकवार वरीयता कम में विवरण मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित

रूपपत्र पर प्राथमिकता रजिस्टर में अंकित कर रखा जायेगा, जो निरीक्षण के समय अधिकारियों को उपलब्ध रहेगा।

(4) नलकूप निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व कृषक को 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का अनुबन्ध करना होगा कि वह प्राप्त अनुदान एवं ऋण का दुरूपयोग नहीं करेगा और निर्मित बोरवेल में निर्मित नलकूप एवं जल वितरण प्रणाली से सम्बन्धित समस्त निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्दर अवश्य पूर्ण कर लेगा। उक्त अनुबन्ध का प्रारूप मुख्य अभियन्ता (ल0सिं0) द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(5) प्राइवेट बोरिंग करने वाली फर्म का पंजीकरण जनपद स्तर पर upgwonline.in website पर पंजीकरण अनिवार्य होगा।

(6) बोरिंग के समय बोंरिग स्थल की बैरीकेडिंग कृषक द्वारा अनिवार्य रूप से स्वयं करायी जायेगी, जिससे बच्चों के कूप में गिरने व अन्य को दुर्धटनाओं से बचाया जा सके।

<u>निजी स्रोतों से नलकूप निर्माण की प्रकिया के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी–</u>

(i) कृषक का बोरिंग स्थल उपयुक्त पाये जाने पर सहायक अभियन्ता द्वारा अनुमानित व्यय का प्राक्कलन कृषक को उपलब्ध कराया जायेगा। प्राक्कलन के अनुसार कृषक को बोरवेल की लागत (ड्रिलिंग तथा पाअप एवं अन्य सामग्री) पर होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत या अनुमन्य अनुदान एवं प्राक्कलन के अन्तर जो भी अधिक हो की धनराशि विभाग में जमा करना होगा। कृषक द्वारा उक्त धन जमा कराये जाने के उपरान्त वरीयता कम निर्धारित किया जायेगा। विभाग द्वारा कृषक की उक्त जमा धनराशि एवं अनुमन्य अनुदान से स्वीकृत एवं आहरित करके सामग्री आदि की व्यवस्था की जायेगी तथा उपलब्ध धनराशि के अन्दर ड्रिलिंग एवं एसेम्बली लोवर करने का कार्य वरीयता कम में एक माह के अन्दर पूर्ण कर लिया जायेगा।

(ii) बोरवेल निर्मित होने के उपरान्त नलकूप निर्माण में डीजल पम्पसेट/विद्युत पम्पसेट, सबमर्सिबल पम्प आदि जो आवश्यक हो की हार्स पावर इत्यादि के सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता द्वारा, निर्धारित प्रारूप पर कृषक को परामर्श दिया जायेगा तथा इसका कय कृषक द्वारा स्वयं किया जायेगा।

बोरिंग कार्य पूर्ण हो जाने पर अधिकतम रू0 2.65 लाख (रू0 दो लाख पैंसठ हजार मात्र) तक अनुमन्य अनुदान का लाभ सत्यापन/मूल्यांकन के उपरान्त कृषक को उपलब्ध कराया जायेगा। कृषक के अनुरोध पर आई0एस0आई0 मार्क डीजल पम्पसेट/विद्युत पम्पसेट, सबमर्सिबल पम्प का कोटेशन/बिल विकेता से प्राप्त कर सहायक अभियन्ता (ल0सि0) को उपलब्ध कराने पर विभाग द्वारा बोरिंग कार्य के उपरान्त अवशेष अनुदान की धनराशि में से पम्पसेट के मूल्य का अधिकतम 50 प्रतिशत अथवा अनुमन्य अनुदान की अवशेष जो भी कम हो धनराशि डीजल पम्पसेट/ विद्युत पम्पसेट, सबमर्सिबुल पम्प के विकेता को कृषक द्वारा अधिकार पत्र देने पर ऑनलाइन 15 दिन के अन्दर सीधे बैंक खाते में भुगतान की जायेगी। शेष धनराशि की व्यवस्था कृषक द्वारा स्वयं की जायेगी। ऐसे मामलों में जहां कृषक डीजल पम्पसेट/विद्युत पम्पसेट, सबमर्सिबल पम्प क्रय कर लेता है तो कार्य प्रभारी अवर अभियन्ता के द्वारा सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर बोरिंग कार्य के उपरान्त अवशेष अनुदान में से डीजल पम्पसेट/विद्युत पम्पसेट, सबमर्सिबल पम्प के मूल्य का अधिकतम 50 प्रतिशत अथवा अनुमन्य अनुदान की अवशेष धनराशि जो भी कम हो का भुगतान सीधे कृषक के बैंक खाते में किया जायेगा।

(iii) कृषक द्वारा पम्प हाऊस इत्यादि का निर्माण कर देने के उपरान्त सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई को सूचित किया जायेगा तथा सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा 15 दिन के अन्दर स्थल का निरीक्षण करने के उपरान्त अनुदान के समायोजन के सम्बन्ध में संस्तुति की जायेगी तथा अनुदान का समायोजन करते हुये यदि कृषक की जमा धनराशि एवं अनुमन्य अनुदान की धनराशि में से से कोई धनराशि शेष बचती है तो यह कृषक को सीधे बैक खाते में वापस कर दी जायेगी। जिन नलकूपों का विद्युतीकरण कराया जाना है उनके ऊर्जीकरण के लिए विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रति नलकूप अनुमन्य धनराशि (वर्तमान में रू0 68,000/-) अथवा वास्तविक लागत जो भी कम हो लाभार्थी के नाम सहित उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को उपलब्ध करा दी जायेगी। तत्पश्चात् कृषक का लेखा बन्द कर दिया जायेगा।

(iv) बोरिंग असफल होने की स्थिति में कृषक द्वारा जमा किये धन में से विभाग द्वारा किये गये कुल व्यय का 10 प्रतिशत् अथवा रू0 3,000/- जो भी कम हो, काटकर शेष राशि कृषक को बैंक खाते में वापस कर दी जायेगी।

ऋण द्वारा नलकूप निर्माण की प्रकिया-

(1) लघु सिंचाई विभाग के प्राक्कलन के आधार पर सम्बन्धित बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किया जायेगा। ऋण केवल उतनी ही मात्रा में स्वीकृत किया जायेगा जो अनुमन्य अनुदान की राशि को घटाकर शेष बचता है। कृषक आंशिक व्यय अपने स्रोतों से भी वहन कर सकता है।

(2) बैंक द्वारा एक माह के अन्दर ऋण की स्वीकृति प्रदान की जायेगी तथा उसकी स्वीकृति की सूचना सम्बन्धित कृषक एवं विभाग को दी जायेगी। विभाग के अनुरोध पर ऋण की धनराशि बैक द्वारा विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। विभाग द्वारा अनुमन्य अनुदान की धनराशि एवं बैंक द्वारा उपलब्ध करायी गयी स्वीकृत धनराशि आहरित कर सामग्री इत्यादि की व्यवस्था की जायेगी एवं बोरवेल का निर्माण बैंक द्वारा धनराशि उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त यथा सम्भव एक माह के अन्दर किया जायेगा। बोरवेल का निर्माण होने की सूचना सहायक अभियन्ता (ल0सि0) द्वारा सम्बन्धित बैंक को दी जायेगी और यदि अनुमन्य अनुदान में से कोई धनराशि अवशेष बचती है तो वह विभाग द्वारा सम्बन्धित बैंक में कृषक के खाते में जमा करा दी जायेगी। बोरवेल के निर्माण के उपरान्त डीजल पम्पसेट/विद्युत पम्पसेट, सबमर्सिबल पम्प के हार्स पावर इत्यादि के विषय में कृषक को विभाग द्वारा परामर्श दिया जायेगा। कृषक बाजार में उपलब्ध अपनी मन पसन्द आई0एस0आई0 मार्क डीजल पम्पसेट/विद्युत पम्पसेट, सबमर्सिबल पम्प का कोटेशन बिल विक्रेता से प्राप्त कर बैंक को उपलब्ध करायेगा। बैंक द्वारा उपलब्ध अवशेष अनुदान एवं ऋण की धनराशि में से डीजल पम्पसेट/विद्युत पम्पसेट, सबमर्सिबल पम्प क्रय हेतु आवश्यक धनराशि पम्पसेट विक्रेता को 15 दिन के अन्दर भुगतान की जायेगी।

(3) डीजल पम्पसेट/विद्युत पम्पसेट, सबमर्सिबल पम्प क्रय हेतु धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त कृषक द्वारा 15 दिन के अन्दर डीजल पम्पसेट/विद्युत

पम्पसेट, सबमर्सिबल, पम्प क्रय कर स्थापित किया जायेगा। डीजल पम्पसेट/विद्युत पम्पसेट, सबमर्सिबल पम्प स्थापित होने की सूचना कृषक द्वारा सम्बन्धित बैंक एवं सहायक अभियन्ता (ल0सिं0) को दी जायेगी। सहायक अभियन्ता (ल0सिं0) 15 दिन के अन्दर स्थल का निरीक्षण कर स्थापित पम्पसेट का सत्यापन करते हुए विद्युत कनेक्शन एवं पम्प हाऊस इत्यादि के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त करने के लिये संबंधित बैंक को अपनी संस्तुति देंगे। बैंक द्वारा विद्युत कनेक्शन हेतु आवश्यक धनराशि उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन को पृष्ठांकित कर भुगतान की जायेगी तथा पम्प हाऊस इत्यादि के निर्माण हेतु धनराशि कृषक को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त की सूचना बैंक द्वारा विभाग को दी जायेगी।

(4) कृषक द्वारा पम्प हाउस इत्यादि के निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि से पम्प हाउस एवं अन्य जो भी कार्य प्रस्तावित है, का निर्माण एक माह के अन्दर करा लिया जायेगा और इसकी सूचना संबंधित बैंक तथा सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई को दी जायेगी। सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई द्वारा सूचना प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर स्थल का निरीक्षण कर अनुदान के समायोजन के संबंध में संस्तुति की जायेगी। जिसके आधार पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा अनुदान समायोजित किया जायेगा और इसकी सूचना बैंक को दी जायेगी।

<u>अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुः-</u>

(1) एसेम्बली लोवरिंग का कार्य अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई से लोवरिंग चार्ट का अनुमोदन कराकर, सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई की उपस्थिति में किया जायेगा।

(2) विभाग द्वारा की गयी बोरिंग असफल होने पर सहायक अभियन्ता सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को रिपोर्ट भेजेगें। अधिशासी अभियन्ता ल0सिं0 एवं सर्वेक्षण एजेन्सी के प्रतिनिधि मौके पर नलकूप का निरीक्षण करने के उपरान्त मुख्य अभियन्ता, ल0सिं0 विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर निर्णय लेकर संयुक्त रूप से बोरिंग असफल घोषित करेंगे।

(3) कृषकों के नलकूप निर्माण हेतु लघु सिंचाई विभाग एवं भूगर्भ जल विभाग की रिग मशीनों के अतिरिक्त आवश्यक होने पर नलकूप निगम तथा सिंचाई विभाग के नलकूप निर्माण खण्ड की बडी रिग मशीनों का उपयोग

किया जा सकता है तथा ऐसी स्थिति में कृषकों को अनुदान की वही सुविधा अनुमन्य होगी, जो लघु सिंचाई विभाग की रिग मशीनों के माध्यम से बोरिंग कराने पर दी जाती है। भूगर्भ जल विभाग, नलकूप निगम या सिंचाई विभाग के नलकूप निर्माण की रिग मशीनों द्वारा बोरिंग कराये जाने पर कृषकों से कोई सेन्टेज चार्ज नहीं लिया जायेगा और बोरिंग फेल हो जाने पर लाभार्थी कृषकों को लघु सिंचाई विभाग की रिग मशीनों द्वारा निर्मित बोरिंग के फेल हो जाने पर देय धनराशि के अनुसार ही धनराशि की वापसी अनुमन्य होगी।

(4) राजकीय विभागों/निगमों की रिग मशीनों की अनुपलब्धता की दशा में योजना के अन्तर्गत प्राइवेट रिग मशीनों से बोरिंग कराया जाना भी अनुमन्य होगा। परन्तु इस हेतु सम्बन्धित विभागों की सहमति प्राप्त की जायेगी। प्राइवेट रिग मशीनों से सम्बन्धित फर्मो का पंजीकरण अधीक्षण अभियन्ता लघु सिचांई द्वारा किया जायेगा जिस हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई के द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए पंजीकरण सूचना प्रकाशित कराकर व पंजीकरण सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें को पूर्ण कर अपनी संस्तुति अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई को प्रेषित करेंगे। पंजीकरण की कार्यवाही करते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि रिग मशीन की क्षमता आर.आर. बिट से कम से कम 17-1/2" का बोर 150मी0 गहराई तक छिद्रण करने की होनी चाहिए एवं नलकूप के डेवलपमेण्ट हेतु 150 मी0 तक गहराई के लिए उपयुक्त कम्प्रेसर हो। अधीक्षण अभियन्ता के स्तर पर फर्मो के पंजीकरण के उपरान्त सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के स्तर पर फर्म से रू0 2.00 लाख की जमानत धनराशि जमा करायी जायेगी। प्राइवेट रिग मशीनों को लक्ष्य आवंटित किये जाने की अनुमति अधीक्षण अभियन्ता लघु सिंचाई द्वारा प्रदत्त की जायेगी।

(5) सफल बोरिंग हेतु जल उपलब्धता मानक निम्नानुसार होंगे :-

क0सं0	क्षेत्र	निर्धारित मानक
01	एल्यूवियल क्षेत्र में रिग मशीन से निर्मित गहरे नलकूप/बोरिंग मय पम्पसेट	04लीटर प्रति सेकेण्ड न्यूनतम डिस्चार्ज अर्थात लगभग 3200 गैलन प्रति घण्टा।
02	पठारी क्षेत्र में रिग मशीन से निर्मित गहरे नलकूप/बोरिगमय पम्पसेट।	02लीटर प्रति सेकेण्ड न्यूनतम डिस्चार्ज अर्थात लगभग 1600 गैलन प्रति घण्टा।
03	पठारी क्षेत्र में बैगन ड्रिल/इनवेल रिग आदि से निर्मित नलकूपों, बोरिंग मय पम्पसेट तथा ब्लास्टिग से निर्मित कूप।	1.2लीटर प्रति सेकेण्ड न्यूनतम डिस्चार्ज अर्थात लगभग 1000 गैलन प्रति घण्टा।

(6) गहरे नलकूपों का निर्माण हैवी/भारी रिग मशीनों से कराया जायेगा। हैवी/भारी बोरिंग यूनिट हेतु विभाग में पूर्व से संचालित गहरी बोरिंग योजना के अन्तर्गत निर्धारित विशिष्टियाँ मान्य होंगी।

(7) बोरिंग के सफल घोषित हो जाने पर बोरिंग कृषक को हस्तान्तरित कर दी जायेगी।

(8) बोरिंग से पानी की निकासी हेतु उपयुक्त हार्स पावर के डीजल पम्पसेट/विद्युत पम्पसेट एवं सबमर्सिबल पम्प जहाँ जैसी स्थिति हो, लगाने का परामर्श मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सहायक अभियन्ता द्वारा दिया जायेगा।

(9) हस्तान्तरण उपरान्त नलकूप का रख-रखाव कृषक द्वारा स्वयं किया जायेगा।

(10) नलकूप का निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व कृषक को 100 रू0 के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का अनुबन्ध करना होगा कि वह प्राप्त अनुदान एवं ऋण का दुरूपयोग नहीं करेगा और निर्मित वोरवेल में डीजल पम्पसेट/विद्युत पम्पसेट एवं सबमर्सिबल पम्प की स्थापना एवं पम्प हाउस का निर्माण निर्धारित अवधि में अवश्य करा लेगा। यदि उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई निर्माण कार्य प्रस्तावित है तो उन्हें भी वह निर्धारित अवधि में करा लेगा। उक्त अनुबन्ध पत्र का प्रारूप मुख्य अभियन्ता, ल0सिं0 द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(11) बोरिंग पूर्ण होने के उपरान्त एक वर्ष तक यदि कृषक अन्य निर्माण कार्य पूर्ण कर लेता है तो उसे अनुदान देय होगा। अन्यथा स्थिति में यदि कोई अनुदान अवशेष बचता है, तो उसे अधिशासी अभियन्ता द्वारा राजस्व मद में जमा कर दिया जायेगा।

(12) प्राइवेट हैवी/भारी रिग मशीनों द्वारा ड्रिलिंग की दरें विभागीय रिग मशीन की दरों के अधिकतम 85 प्रतिशत तक होंगी। दरों की स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता द्वारा की जायेगी।

(13) नलकूपों के निर्माण एवं जल वितरण प्रणाली हेतु बजटीय आवंटन से उपलब्ध धनराशि तथा कृषक द्वारा जमा की गयी धनराशि को जोड़कर कुल उपलब्ध धनराशि में से पहले बजटीय आवंटन (कुल रू0 2.79 लाख) का उपयोग किया जाये तथा उसके उपरान्त कृषक द्वारा जमा

धनराशि का उपयोग इस प्रतिबन्ध के साथ किया जाये कि गहरे नलकूप के निर्माण तथा जल वितरण प्रणाली की स्थापना हेतु 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम रू0 2.65 लाख एवं रू0 0.14 लाख क्रमशः देय होगा।

(14) कार्यक्रम से संबंधित समस्त पंजिकाओं/रजिस्टरों का निर्धारण मुख्य अभियन्ता द्वारा पृथक से किया जायेगा। योजना के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों के दृष्टिगत आवश्यक निर्देश, मुख्य अभियन्ता के स्तर से निर्गत किये जा सकेंगे।

वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण–

प्रत्येक वर्ष योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के अनुरूप लक्ष्यों का निर्धारण पृथक से मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई के द्वारा किया जायेगा। आवश्यकतानुसार जनपदों के लिये निर्धारित लक्ष्यों में संशोधन भी मुख्य अभियन्ता अपने स्तर से करेंगे।

ड्राइंग, मानक एवं दर का निर्धारण–

योजना के अन्तर्गत निर्मित नलकूपों तथा अन्य कार्यो की डिजाइन एवं ड्राइंग का निर्धारण एवं स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता, ल0सिं0 द्वारा प्रदान की जायेगी तथा विभिन्न कार्यो हेतु दरों के निर्धारण के लिए अधीक्षण अभियन्ता, ल0सिं0 उत्तरदायी होगे। योजना के अन्तर्गत समस्त कार्य अधीक्षण अभियन्ता, ल0सिं0 द्वारा निर्धारित विशिष्टयों, मानकों एवं दरो के अनुसार ही किये जायेगें।

बोरिंग हस्तानान्तरण के उपरान्त फेल होने पर निर्देश–

इस सम्बन्ध में निर्देश निम्नानुसार हैः–

(1) बोरिंग हैण्डओवर होने के 6 माह के अन्दर (जिसमें यह माना गया है कि कृषक ने एक सीजन की सिंचाई कर ली होगी) यदि बोरिंग फेल होती है और निम्नलिखित में से कोई एक अथवा अधिक दोष प्रकाश में आते हैं, तो विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों का दायित्व निर्धारित किया जायेगा –

(I) उपयुक्त सही साइज का एवं समुचित मात्रा में पी–ग्रेविल का न डाला जाना।
(II) बोरिंग का विकास सही ढंग से न किया जाना।
(III) ड्रिलिंग सही/सीधा न होना।
(IV) सामग्री के प्रयोग में कमी।

(V) अधोमानक सामग्री का होना।
(VI) वर्कमैनशिप में कमी।

(2) यदि बोरिंग का 6 माह अथवा एक सीजन में उपयोग हो गया है और उपरोक्त अवधि में बोरिंग ठीक ढंग से कार्य करती रही है तो विभाग का दायित्व न मानते हुये कृषक की शिकायत पर कोई कार्यवाही अपेक्षित न होगी। उपरोक्त के सम्बन्ध में केवल लिखित शिकायत मान्य होगी।

(3) विभागीय दोष के कारण बोरिंग असफल होने की दशा में उत्तरदायित्व का निर्धारण पूर्व में विभाग द्वारा संचालित गहरे नलकूप योजना हेतु निर्गत शासनादेश संख्या 213/62-2-2013-2/2(10)/2012, दिनांक 11.02.2013 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

(4) पुनः बोरिंग किये जाने का निर्णय लेने पर व्यय भार के वहन हेतु अतिरिक्त बजट की आवश्यकता नहीं होगी, अपितु इसका वहन विभागीय स्टॉक सेविंग/कन्टीजेन्सी से किया जायेगा।

(5) उत्तरदायित्व निर्धारण के पश्चात् पुनः बोरिंग कराने पर हुये व्यय की वसूली संबंधित कर्मचारी/अधिकारी से करते हुये धनराशि को राजस्व मद में जमा किया जायेगा।

सामग्री क्रय की व्यवस्था-

मुख्यमंत्री लघु सिंचाई गहरे नलकूप योजना के अन्तर्गत क्रय किये जाने पाइप/एच.डी.पी.ई. पाइप को प्राप्त बजट एवं कृषकों द्वारा जमा धनराशि से जेम पोर्टल के माध्यम से सुसंगत शासनादेशों एवं भण्डार क्रय नियमों के अनुरूप केन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत आपूर्ति खण्ड के द्वारा की जायेगी।

अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण-

(1) यह योजना महत्वपूर्ण है तथा विभिन्न स्तरों पर इसकी गुणवत्ता की चेकिंग किया जाना आवश्यक है। इस योजना के सघन अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के लिये जनपद स्तर पर सहायक अभियन्ता, खण्ड स्तर पर अधिशासी अभियन्ता एवं वृत्त स्तर पर अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रुप से जिम्मेदार होंगे तथा वह इस योजना की प्रगति की पाक्षिक समीक्षा भी करेंगे एवं उसे मुख्य अभियन्ता को प्रेषित किया जायेगा तथा फील्ड में आने वाली कठिनाईयों का निराकरण तत्काल सुनिश्चित करेंगे।

(2) अवर अभियन्ता समस्त कार्यो हेतु पूर्णतया उत्तरदायी होगें तथा योजना में निर्मित कार्यों का कम से कम 50 प्रतिशत् सत्यापन सहायक अभियन्ता द्वारा, 20 प्रतिशत् अधिशासी अभियन्ता द्वारा एवं 10 प्रतिशत् अधीक्षण अभियन्ता द्वारा किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उच्चतर अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी द्वारा किये गये सत्यापन से अतिरिक्त कार्यो का सत्यापन करें।

(3) उक्त योजनान्तर्गत सभी नलकूपों की जियो टैगिंग अनिवार्य रूप से करायी जायेगी, जिसकी जी0पी0एस0 लोकेशन (अक्षांश व देशान्तर) का अंकन लाभार्थी कृषकों की सूची पंजिका में अंकित किया जायेगा।

(4) उक्त योजनान्तर्गत सभी नलकूपों की जियो टैगिंग अनिवार्य रूप से करायी जायेगी, जिसकी जी0पी0एस0 लोकेशन (अक्षांश व देशान्तर) का अंकन लाभार्थी कृषकों की सूची पंजिका में अंकित किया जायेगा।

(5) उपरोक्त योजना के प्रदेश स्तर पर क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण का दायित्व मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई का होगा। योजना के क्रियान्वयन के संबंध में अपेक्षित प्रार्थना-पत्र/अनुबन्ध एवं लेखा-जोखा रखने की प्रक्रिया व प्रगति संबंधी प्रारूप का निर्धारण मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई अपने स्तर से निर्धारित कर क्षेत्रीय अधिकारियों को समुचित निर्देश के साथ निर्गत करेंगे।

(6) प्रगति का अंकन jjmup.org/विभागीय पोर्टल (यथा संशोधित) पर किया जायेगा।

=============== X ==============

4) पूर्व निर्मित उथले नलकूपों पर पम्पसेट, वाटर टैंक(हौज) व जल वितरण प्रणाली की स्थापना –

उद्देश्यः– मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना (उथले नलकूप) में लघु/सीमान्त कृषक लाभान्वित होते हैं। इसमें अधिकांश कृषक/लाभार्थी अल्प आय श्रेणी के होते हैं, जिसके कारण बोरिंग करवाने के उपरान्त वह किराये का पम्पसेट लेकर सिंचाई का कार्य करते है, परन्तु आवश्यकता के समय पम्पसेट किराये पर न मिलने के कारण उनकी कृषि उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है तथा उनकी आय प्रभावित होती है। ऐसी स्थिति में सिंचाई कार्य हेतु आत्मनिर्भर बनाने के लिए लघु/सीमान्त श्रेणी के कृषक/लाभार्थी, जो विभागीय योजनाओं में वर्ष 2015–16 से लाभान्वित हुए हों तथा सिंचाई की व्यवस्था हेतु डीजल पम्पसेट/विद्युत पम्पसेट/सोलर पम्प हेतु किसी सरकारी योजना में अनुदान प्राप्त न किये हों को सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अनुदान पर डीजल पम्पसेट/विद्युत पम्पसेट, हौज–नाली एवं जल वितरण प्रणाली हेतु 90 एम0एम0/110 एम0एम0 एच.डी.पी.ई. पाइप उपलब्ध कराने जाने की योजना है। इससे कृषि उत्पादकता एवं कृषक की आय में वृद्धि होगी।

कृषक लाभार्थी की पात्रता श्रेणी –

योजनान्तर्गत ऐसे लघु/सीमान्त कृषक, जिन्होंने विभागीय योजनाओं में पूर्व में (वर्ष 2015–16 से) बोरिंग करायी हो तथा पम्पसेट, जल वितरण प्रणाली पर अनुदान न लिया हो एवं कृषक के पास निजी सिंचाई संसाधन उपलब्ध न हो, योजना हेतु पात्र होंगे।

अनुमन्य अनुदान –

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>कार्य का नाम</th><th colspan="2">मद का नाम</th><th>इकाई लागत (लाख रू0 में)</th><th>अनुमन्य अधिकतम अनुदान (लाख रू0 में)</th><th>कृषक अंश (लाख रू0 में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td colspan="2">3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="5">1</td><td rowspan="5">पूर्व में निर्मित (वर्ष 2015–16 से) उथले नलकूपों पर पम्पसेट, वाटर टैंक (हौज) व जल वितरण प्रणाली की स्थापना</td><td rowspan="3">डीजल/ विद्युत पम्पसेट पर अनुदान</td><td>सा0/लघु कृषक</td><td rowspan="3">0.360</td><td>0.18</td><td>0.18</td></tr>
<tr><td>सा0/सीमान्त कृषक</td><td>0.252</td><td>0.108</td></tr>
<tr><td>अनुसूचित लघु/सीमान्त कृषक</td><td>0.324</td><td>0.036</td></tr>
<tr><td colspan="2">जल वितरण प्रणाली हेतु एच. डी.पी.ई. पाइप पर अनुदान (Ø 90mm / Ø 110 mm, लम्बाई 48 मीटर तक)</td><td>0.096</td><td>0.048</td><td>0.048</td></tr>
<tr><td colspan="2">वाटर टैंक(हौज)(1.5 x 1.5 x 1 m)</td><td>0.350</td><td>0.315</td><td>0.035</td></tr>
</table>

उक्त योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को 5-10 HP आई.एस.आई. मार्क डीजल पम्पसेट अथवा 3–5 एच.पी. विद्युत पम्पसेट क्रय करने हेतु अधिकतम

अनुदान उपरोक्तानुसार अनुमन्य होगा। यदि क्रय मूल्य/लागत इससे अधिक आती है तो अतिरिक्त व्यय लाभार्थी द्वारा वहन किया जायेगा।

वित्तीय व्यवस्था–

(1) उथले नलकूप हेतु मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना में शासन द्वारा स्वीकृत बजट के सापेक्ष खण्डवार/जनपदवार लक्ष्य मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) वित्तीय स्वीकृति के आधार पर मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा बजट आवंटन सम्बन्धित खण्ड/जनपद को किया जायेगा।

लक्ष्यों का निर्धारणः–

(1) प्रत्येक वर्ष जनपदवार लक्ष्य शासन स्तर से उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

(2) आवश्यकतानुसार लक्ष्यों में संशोधन मुख्य अभियन्ता के स्तर से किये जा सकेंगे।

लाभार्थियों का चयनः–

कृषकों के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

(1) पात्र इच्छुक कृषकों का चयन उनके द्वारा कृषक अंश जमा करने की तिथि के आधार पर प्रथम आवक–प्रथम पावक के आधार पर किया जायेगा। कृषक का अंश धन, बैंक ड्राफ्ट/चालान के माध्यम से सहायक अभियन्ता कार्यालय में जमा किया जायेगा।

(2) उपरोक्तानुसार लाभार्थी कृषक के द्वारा जमा अंश धन के अनुसार सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई के कार्यालय में प्राथमिकता रजिस्टर संचालित कर कार्य वरीयता क्रम में किया जायेगा।

(3) उक्त हेतु पंजीकरण jjmup.org /विभागीय पोर्टल (यथा संशोधित) पर कराया जाना आवश्यक होगा।

(4) ऐसे कृषकों को वरीयता दी जायेगी, जो योजनान्तर्गत हौज निर्माण, पम्पसेट व एच.डी.पी.ई. पाइप क्रय के समेकित कार्यो से लाभान्वित होने हेतु इच्छुक होंगे। योजना के अन्तर्गत बोरिंग पर पम्पसेट की स्थापना अनिवार्य होगी, किन्तु आवश्यकता एवं कृषक की माँग के दृष्टिगत जल वितरण प्रणाली की स्थापना व हौज का निर्माण ऐच्छिक होगा।

(5) योजनान्तर्गत लघु/सीमान्त कृषकों में, अनुजाति/जनजाति एवं महिला कृषकों को नियमानुसार वरीयता दी जायेगी।

चयन में प्राथमिकतायें एवं प्रतिबन्धः–

चयन में निम्नलिखित प्रतिबन्ध एवं प्राथमिकतायें होंगी–

(1) विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत गत वर्षो में विभागीय बोरिंग होना (वर्ष 2015–16 से) अनिवार्य होगा, जिसकी पुष्टि सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के द्वारा पूर्ण बोरिंगों की सूची से की जायेगी।

(2) अतिदोहित/क्रिटिकल विकास खण्डों में योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(3) जिनके द्वारा किसी भी शासकीय योजना में उपरोक्त प्रस्तावित कार्य पर अनुदान प्राप्त न किया गया हो, उन्हें ही लाभान्वित किया जायेगा।

पम्पसेट, जल वितरण प्रणाली व वाटर टैंक (हौज) की स्वीकृतिः–

1– चयनित पात्र एवं इच्छुक कृषकों को मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा पृथक से निर्धारित रूपपत्र पर संबंधित सहायक अभियन्ता की संस्तुति के पश्चात् अधिशासी अभियन्ता द्वारा अनुमति निर्गत की जायेगी, जो सम्बन्धित वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता को सूचित की जायेगी।

2– हौज–नाली का डिजाइन व ड्राइंग अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई के स्तर से निर्गत किया जायेगा उसके उपरान्त निर्माण कार्य का प्राक्कलन अवर अभियन्ता द्वारा सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई की संस्तुति सहित अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जायेगा। उक्त स्वीकृति होने के उपरान्त ही कृषकों को लाभान्वित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

सामग्री क्रय व्यवस्थाः–

(1) योजना के अन्तर्गत क्रय किये जाने वाले पम्पसेट/एच.डी.पी.ई. पाइप सामग्रियों को प्राप्त बजट एवं कृषकों द्वारा जमा धनराशि से जेम पोर्टल के माध्यम से सुसंगत शासनादेशों एवं भण्डार क्रय नियमों के अनुरूप केन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत आपूर्ति खण्ड के द्वारा की जायेगी।

(2) जेम पोर्टल पर प्राप्त न्यूनतम दर के निर्धारित इकाई लागत से कम होने पर अनुमन्य अनुदान, अनुपातिक रूप से देय होगा।

<u>योजना का क्रियान्वयन–</u>

(1) पम्पसेट व एच.डी.पी.ई. पाइप को लाभार्थी कृषक द्वारा कम से कम 05 वर्ष उपयोग किया जायेगा एवं इससे पूर्व विक्रय नहीं किया जा सकेगा। इस अवधि में लाभार्थी कृषक द्वारा यदि इसका विक्रय किया जाता है तो लाभार्थी से अनुदान की सम्पूर्ण धनराशि वसूल की जायेगी। अतः लाभार्थी कृषक से पम्पसेट व एच.डी.पी.ई. पाइप क्रय होने से पूर्व रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर नोटरी शपथ–पत्र प्राप्त किया जायेगा, जिसमें पम्पसेट व एच.डी.पी.ई. पाइप को निरन्तर उपयोग में लाने तथा इसे 05 वर्ष से पहले विक्रय न करने की घोषणा कृषक द्वारा की जायेगी, जिसका रूपपत्र मुख्य अभियन्ता द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। डीजल पम्पसेट व एच.डी.पी.ई. पाइप पर अनुदान उपभोग हो जाने के बाद अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता उपरोक्त सूचना अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता को प्रेषित करेंगे।

योजनान्तर्गत हौज (वाटर टैंक) का निर्माण विभागीय स्तर पर लोक लेखा पद्धति के अन्तर्गत निर्धारित निर्माण नियमों से किया जायेगा।

(2) कार्य पूर्ण होने पर कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र तैयार किया जायेगा, जिस पर लाभार्थी, बोरिंग टैक्नीशियन/सहायक बोरिंग टैक्नीशियन एवं सम्बन्धित अवर अभियन्ता के हस्ताक्षर होंगे। यह प्रपत्र यथा आवश्यकता पम्पसेट व एच.डी. पी.ई. पाइप हस्तांतरण को भी प्रमाणित करेगा जिसकी एक प्रति कृषक को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) योजनान्तर्गत धनराशि की बचत होने पर माह दिसम्बर के अन्त तक अतिरिक्त लक्ष्य का प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता द्वारा मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा, तद्नुसार मुख्य अभियन्ता के स्तर से अतिरिक्त लक्ष्यों का प्राविधान करते हुए मुख्यालय से पम्पसेट/एच.डी.पी.ई. पाइप का क्रय नियमानुसार जेम पोर्टल से किया जायेगा।

<u>डीजल/विद्युत पम्पसेट, हौज–नाली एवं जल वितरण हेतु आवेदन की स्वीकृतिः–</u>

विभागीय बो0टे0/स0बो0टे0 के द्वारा लाभार्थी कृषक से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर अवर अभियन्ता के हस्ताक्षरोपरान्त सम्बन्धित सहायक अभियन्ता कार्यालय में मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर प्रस्तुत किया जायेगा। तदोपरान्त सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई संस्तुति करते हुए माँग पत्र अधिशासी

अभियन्ता, लघु सिंचाई को प्रेषित करेंगे जो उक्त पर स्वीकृति प्रदान करेंगे तथा इस प्रकार प्राप्त प्रार्थना पत्रों का अंकन कृषक के द्वारा जमा अंश धन की तिथि के आधार पर मुख्य अभियन्ता के स्तर से निर्धारित प्राथमिकता रजिस्टर पर सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई कार्यालय में किया जायेगा तथा सूचना अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

<u>गुणवत्ता नियंत्रण एवं भौतिक सत्यापनः-</u>

क्रय किये जा रहे सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु निम्नलिखित निर्देश दिये जा रहे हैं :-

(1) जेम पोर्टल से क्रय किये गये डीजल/विद्युत पम्पसेट व एच.डी.पी.ई. पाइप की गुणवत्ता की जॉच भण्डार क्रय नियमों के अन्तर्गत निर्माता फर्म द्वारा आपूर्ति से पूर्व/पश्चात् में निर्धारित जॉच एजेन्सी तथा विभागीय अधिकारियों द्वारा सम्मिलित रुप से की जायेगी (यथा प्रस्तावित)।

(2) जेम पोर्टल के माध्यम से आपूर्तित पम्पसेट व एच.डी.पी.ई. पाइप के आई. एस.आई. मार्क एवं अन्य तकनीकी तथ्यों की जॉच अधिशासी अभियन्ता के स्तर पर किया जायेगा। संतोषजनक पाये जाने पर 90 प्रतिशत भुगतान सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा

(3) डीजल/विद्युत पम्पसेट की कार्य स्थल पर स्थापना और संतोषजनक ट्रायल का सत्यापन अवर अभियन्ता के निर्देशन में संबंधित बो0टे0/सहा0बो0टे0 द्वारा किया जायेगा। तदोपरान्त अवशेष 10 प्रतिशत भुगतान की संस्तुति अवर अभियन्ता व सहायक अभियन्ता के द्वारा की जायेगी। सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई द्वारा प्रत्येक डीजल/विद्युत पम्पसेट की कम्पनी से प्राप्त टेस्टिंग रिपोर्ट की प्रति कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी।

(4) विभागीय स्तर पर अवर अभियन्ता द्वारा शत्-प्रतिशत् सत्यापन किया जायेगा। सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता लघु सिंचाई द्वारा अपने-अपने कार्य क्षेत्र में इस प्रक्रिया के अन्तर्गत स्थापित क्रमशः 20,10,5 प्रतिशत पम्पसेटों का सत्यापन किया जायेगा।

(5) गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्त प्रस्तरों में वर्णित प्राविधानों/व्यवस्थाओं का पालन सुनिश्चित कराने हेतु अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता उत्तरादायी होंगे और इस हेतु उनके द्वारा नियमित मासिक समीक्षा की जायेगी। उक्त वर्णित प्राविधानों/व्यवस्थाओं का पालन

सुनिश्चित न किये जाने की दशा में उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही कराने का दायित्व मुख्य अभियन्ता का होगा।

(6) लाभार्थी/कृषक के पम्पसेट, हौज एवं जल वितरण प्रणाली से सम्बन्धित फोटोग्राफ पत्रावली में रक्षित किया जायेगा।

सामान्य निर्देश-

(1) कार्य से सम्बन्धित मुख्य नियम, प्राविधान/नियमावली को लघु सिंचाई विभाग द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत में उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जाये।

(2) योजना के क्रियान्वयन में किसी भी कठिनाई के दृष्टिगत, उचित पाये जाने पर सम्बन्धित निर्देश मुख्य अभियन्ता के स्तर से निर्गत किये जा सकेंगे।

(3) योजना के क्रियान्वयन के अन्तर्गत लाभार्थी कृषक को अनुमन्य अनुदान से अधिक कदापि देय न होगा एवं अधिक लागत की स्थिति में अतिरिक्त धनराशि कृषक के द्वारा वहन की जायेगी।

=============== X ==============

(5) पूर्व निर्मित उथले/मध्यम गहरे/गहरे नलकूपों पर सोलर पम्पसेट स्थापना का कार्य–

उद्देश्यः– लघु सिंचाई विभाग द्वारा विभागीय योजनान्तर्गत प्रदेश में मध्यम/गहरे नलकूपों का निर्माण किया जा रहा है। योजनान्तर्गत लाभान्वित होने वाले कृषकों द्वारा जल निकासी हेतु वर्तमान में विद्युत/डीजल आधारित पम्पसेटों का प्रयोग किया जा रहा है। दूरस्थ क्षेत्रों में निर्मित नलकूपों का विद्युत संयोजन न हो पाने अथवा अत्यधिक लागत होने की स्थिति में जल निकासी प्रणाली को यदि सोलर आधारित कर दिया जाय, तो न केवल विघुत/डीजल की बचत होगी, अपितु वातावरण में कार्बन उत्सर्जन में कमी आयेगी तथा प्रति हेक्टेयर सिंचाई लागत में भी कमी आयेगी। उथले/मध्यम गहरे/गहरे नलकूपों पर डीजल/विद्युत पम्पसेट के स्थान पर सोलर पम्पसेट स्थापित किये जाने से वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा मिलेगा एवं पर्यावरण में भी सुधार होगा। साथ ही साथ लाभार्थी कृषक की आय में वृद्धि सुनिश्चित हो सकेगी।

कृषक लाभार्थी की पात्रता श्रेणी –

योजनान्तर्गत ऐसे कृषक जिन्होंने विभागीय योजनाओं में उथले/मध्यम गहरे/गहरे नलकूप का निर्माण कराया हो तथा किसी अन्य योजना से सोलर पम्पसेट पर अनुदान न लिया हो। उक्त के सम्बन्ध में लाभार्थी कृषक को रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

अनुमन्य अनुदान –

क्र. सं.	कार्य का नाम	मद का नाम	इकाई लागत (रू0 में)	अनुमन्य अधिकतम अनुदान 60 प्रतिशत (रू0 में)	कृषक अंश 40 प्रतिशत (रू0 में)
1	2	3	4	5	6
1	पूर्व निर्मित (वर्ष 2015–16 से) उथले / मध्यम / गहरे नलकूपों पर सोलर पम्पसेट स्थापना का कार्य (3 एच.पी. या अधिक)	सोलर पम्पसेट(ए.सी.) स्थापना			
		सामान्य (3 एचपी)	193460	116076	77384
		सामान्य (5 एचपी)	273137	163882	109255
		सामान्य (7.5 एचपी)	372126	223276	148850
		एस.सी.पी. (3 एचपी)	193460	116076	77384
		एस.सी.पी. (5 एचपी)	273137	163882	109255
		एस.सी.पी. (7.5 एचपी)	372126	223276	148850

वित्तीय व्यवस्था–

(1) मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना में स्वीकृत परिव्यय एवं उपलब्ध बजट के सापेक्ष खण्डवार/जनपदवार बजट/वित्तीय स्वीकृतियाँ शासन द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) वित्तीय स्वीकृति के आधार पर मुख्य अभियन्ता कार्यालय के वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा बजट आवंटन किया जायेगा।

लक्ष्यों का निर्धारणः–

(1) प्रत्येक वर्ष जनपदवार लक्ष्य शासन स्तर से उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष मुख्य अभियन्ता के द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

(2) आवश्यकतानुसार लक्ष्य, मुख्य अभियन्ता के स्तर पर परिवर्तनीय होंगे।

लाभार्थियों का चयनः–

कृषकों के चयन की प्रकिया निम्नानुसार होगीः–

(1) पात्र/इच्छुक कृषकों का चयन उनके द्वारा 40 प्रतिशत कृषक अंश जमा करने के आधार पर प्रथम आवक–प्रथम पावक के आधार पर किया जायेगा। कृषक द्वारा अंशधन, बैंक ड्राफ्ट/चालान के माध्यम से सहायक अभियन्ता कार्यालय में जमा किया जायेगा।

(2) कृषक द्वारा जमा अंश धन की तिथि के आधार पर सहायक अभियन्ता कार्यालय में प्राथमिकता रजिस्टर का संचालन करते हुए वरीयता कम में कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा।

(3) लाभार्थी कृषकों का पंजीकरण jjmup.org /विभागीय पोर्टल (यथा संशोधित) पर आवश्यक होगा।

चयन में प्राथमिकतायें एवं प्रतिबन्धः–

चयन में निम्नलिखित प्रतिबन्ध एवं प्राथमिकतायें होंगी–

(1) विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत गत वर्षो में उथली/मध्यम गहरी/गहरी बोरिंग का होना अनिवार्य होगा, जिसकी पुष्टि सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के द्वारा पूर्ण बोरिंगों की सूची से की जायेगी।

(2) अतिदोहित/क्रिटिकल विकास खण्डों में योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(3) प्रधानमंत्री कुसुम योजना अथवा अन्य किसी सरकारी अनुदान से सोलर पम्पसेट का लाभ लाभार्थी द्वारा न लिया गया हो।

(4) योजनान्तर्गत लघु/सीमान्त, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला कृषकों को वरीयता दी जायेगी।

योजना की स्वीकृतिः–

(1) चयनित पात्र एवं इच्छुक कृषकों को निर्धारित रूपपत्र पर संबंधित अवर अभियन्ता व सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई की संस्तुति के पश्चात् अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा प्रार्थना पत्र की स्वीकृति दी जायेगी।

(2) लाभार्थी कृषक ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना अथवा किसी सरकारी अनुदान से सोलर पम्पसेट का लाभ न लिया हो। कृषक के द्वारा प्रस्तुत नोटरी शपथ पत्र के आधार पर अधिशासी अभियन्ता के द्वारा उक्त की पुष्टि की जायेगी।

सामग्री क्रय व्यवस्थाः–

(1) योजना के अन्तर्गत क्रय किये जाने वाले पम्पसेट आदि सामग्रियों को प्राप्त बजट एवं कृषकों द्वारा जमा धनराशि से जेम पोर्टल के माध्यम से सुसंगत शासनादेशों एवं भण्डार क्रय नियमों के अनुरूप केन्द्रीयकृत व्यवस्था से आपूर्ति खण्ड के माध्यम से खण्डवार प्राप्त माँग के आधार पर खण्डवार आपूर्ति प्राप्त की जायेगी।

(2) जेम पोर्टल पर प्राप्त न्यूनतम दर के निर्धारित इकाई लागत से कम होने पर अनुमन्य अनुदान, अनुपातिक रूप से देय होगा।

(3) आपूर्तिकर्ता फर्म को सोलर पम्प की स्थापना के उपरान्त पाँच वर्ष के लिए वार्षिक रखरखाव हेतु अनुबन्ध किया जाना अनिवार्य होगा, जिसमें स्थापित सोलर पम्प की बीमा धनराशि भी सम्मिलित है। स्थापित सोलर पम्पों के समय से मरम्मत एवं रखरखाव हेतु सम्बन्धित फर्म द्वारा प्रत्येक जनपद में अधिकृत सेवा केन्द्र की स्थापना के साथ हिन्दी/अग्रेंजी में हेल्पलाइन नम्बर भी निर्गत किया जायेगा। हेल्पलाइन नम्बर, पम्प अथवा कन्ट्रोलर के उपयुक्त स्थान पर अंकित किया जायेगा, जो सोलर पम्प के उपयोगकर्ता को आसानी से दिखाई दे।

(4) उथली बोरिंग हेतु कम व गहरी बोरिंग हेतु अधिक हार्स पावर के सोलर पम्पसेट की आवश्यकता के दृष्टिगत **'प्रधानमंत्री कुसुम योजना'** के अन्तर्गत लागत निर्धारण (यथा संशोधित) के अनुसार अनुदान देय होगा।

योजना का कियान्वयन–

(1) नवीन सोलर पम्पसेट की स्थापना रिपोर्ट कृषक, अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई, के संयुक्त फोटोग्राफ व हस्ताक्षर सहित विभाग में प्रस्तुत की जायेगी एवं कृषक द्वारा इस तथ्य का रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त पम्पसेट का उपयोग सिंचाई हेतु किया जायेगा एवं सोलर पम्पसेट को किसी भी दशा में 05 वर्ष से पूर्व विक्रय नहीं किया जायेगा। पूर्व में किसी अन्य योजना से लाभ न प्राप्त करने का तथ्य भी उक्त शपथ पत्र में अंकित किया जायेगा।

(2) कार्य पूर्ण होने पर कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र तैयार किया जायेगा, जिस पर लाभार्थी, बोरिंग टैक्नीशियन/सहायक बोरिंग टैक्नीशियन एवं सम्बन्धित अवर अभियन्ता के हस्ताक्षर होंगे। यह प्रपत्र पम्पसेट हस्तांतरण को भी प्रमाणित करेगा जिसकी एक प्रति कृषक को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) योजनान्तर्गत धनराशि की बचत होने पर माह दिसम्बर के अन्त तक अतिरिक्त लक्ष्य का प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता द्वारा मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा, तद्नुसार मुख्य अभियन्ता के स्तर से अतिरिक्त लक्ष्यों का प्राविधान करते हुए मुख्यालय से सोलर पम्पसेट का क्रय नियमानुसार जेम पोर्टल से किया जायेगा।

सोलर पम्पसेट क्रय हेतु आवेदन स्वीकृत करने की प्रक्रिया–

(1) लाभार्थी कृषक के द्वारा सोलर पम्पसेट नकद क्रय हेतु अनुदान का प्रार्थना पत्र संबंधित सहायक अभियन्ता कार्यालय में मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे संबंधित अवर अभियन्ता लघु सिंचाई अपनी संस्तुति सहित सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तदोपरान्त सहायक अभियन्ता अपनी संस्तुति करते हुए माँग पत्र अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई को प्रस्तुत करेंगे जो उक्त पर अपनी स्वीवकृति प्रदान करेंगे। इस प्रकार प्राप्त प्रार्थना पत्रों का अंकन सहायक अभियन्ता कार्यालय में मुख्य अभियन्ता के स्तर पर निर्धारित रजिस्टर पर किया जायेगा।

(2) सोलर पम्पसेट की कार्य स्थल पर स्थापना और संतोषजनक ट्रायल का सत्यापन संबंधित अवर अभियन्ता द्वारा किया जायेगा और सत्यापन रिपोर्ट भुगतान की संस्तुति, मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित रूप पत्र, सोलर

पम्पसेट की टेस्टिंग रिपोर्ट की प्रति मूल रुप में तथा निर्माता फर्म से पम्पसेट प्राप्त करने का प्रमाण पत्र सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई को प्रेषित करेंगे।

(3) कृषक अथवा फर्म को अग्रिम अनुदान अनुमन्य नहीं होगा। सोलर पम्पसेट स्थापना, कार्य प्रभारी अवर अभियन्ता के द्वारा सत्यापन प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही अनुदान देय होगा।

(4) विभागीय स्तर पर अवर अभियन्ता द्वारा शत्–प्रतिशत् सत्यापन किया जायेगा। सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता लघु सिंचाई द्वारा अपने–अपने कार्य क्षेत्र में इस प्रक्रिया के अन्तर्गत स्थापित कमशः 20,10,5 प्रतिशत सोलर पम्पसेटों का सत्यापन किया जायेगा।

<u>गुणवत्ता नियंत्रण एवं भौतिक सत्यापनः–</u>

कय किये जा रहे सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं :–

(1) जेम पोर्टल से कय किये गये सोलर पम्पसेट की गुणवत्ता भण्डार कय नियमों के अन्तर्गत निर्माता फर्म द्वारा आपूर्ति से पूर्व अथवा पश्चात् में निर्धारित जॉच एजेन्सी तथा विभागीय अधिकारियों द्वारा सम्मिलित रुप से किया जायेगा (यथा प्रस्तावित)।

(2) जेम पोर्टल के माध्यम से आपूर्तित पम्पसेट की आई.एस.आई. मार्क एवं अन्य तकनीकी तथ्यों की जॉच मुख्य अभियन्ता के द्वारा गठित समिति करेगी। संतोषजनक पाये जाने पर 90 प्रतिशत भुगतान सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) सोलर पम्पसेट की कार्य स्थल पर स्थापना और संतोषजनक ट्रायल का सत्यापन संबंधित अवर अभियन्ता द्वारा किया जायेगा। अवशेष 10 प्रतिशत भुगतान की संस्तुति अवर अभियन्ता व सहायक अभियन्ता के द्वारा की जायेगी। सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई द्वारा प्रत्येक सोलर पम्पसेट का कम्पनी से प्राप्त टेस्टिंग रिपोर्ट कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा।

(4) विभागीय स्तर पर अवर अभियन्ता द्वारा शत्–प्रतिशत् सत्यापन किया जायेगा। सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता

लघु सिंचाई द्वारा अपने–अपने कार्य क्षेत्र में इस प्रक्रिया के अन्तर्गत स्थापित क्रमशः 20,10,5 प्रतिशत पम्पसेटों का सत्यापन किया जायेगा।

(5) गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्त प्रस्तरों में वर्णित प्राविधानों/व्यवस्थाओं का पालन सुनिश्चित कराने हेतु अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता उत्तरादायी होगें और इस हेतु उनके द्वारा नियमित मासिक समीक्षा की जायेगी। उक्त वर्णित प्राविधानों/व्यवस्थाओं का पालन सुनिश्चित न किये जाने की दशा में उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही कराने दायित्व मुख्य अभियन्ता का होगा।

(6) लाभार्थी/कृषक का सोलर पम्पसेट के साथ फोटोग्राफ पत्रावली में रक्षित किया जायेगा।

<u>सामान्य निर्देश–</u>

(1) कार्य से सम्बन्धित मुख्य नियम, प्राविधान/नियमावाली को लघु सिंचाई विभाग द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत में उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जाये।

(2) योजना के क्रियान्वयन में किसी भी कठिनाई के दृष्टिगत उचित पाये जाने पर, सम्बन्धित निर्देश, मुख्य अभियन्ता के स्तर से निर्गत किये जा सकेंगे।

(3) योजना के क्रियान्वयन के अन्तर्गत लाभार्थी कृषक को अनुमन्य अनुदान से अधिक कदापि देय न होगा एवं अधिक लागत की स्थिति में अतिरिक्त धनराशि कृषक के द्वारा वहन की जायेगी।

================ X ==============

(6) **05 वर्ष से अधिक के पूर्व निर्मित चेकडैमों का मरम्मत कार्य** –

उद्देश्यः– वर्तमान में प्रदेश में गिरता हुआ भूजल स्तर एक बहुत बड़े जल संकट के रूप में हमारे सामने है, जिस हेतु वर्षा जल का संचयन अतिआवश्यक है। वर्षा जल संचयन के लिए बरसाती नदी–नालों पर चेकडैम का निर्माण किया जाना ही एक प्रभावी विकल्प है। उल्लेखनीय है कि वर्षा ऋतु में नदी–नालों में आया जल कोई अवरोध न होने के कारण बहते हुए आगे निकल जाता है एवं नदी–नाला वर्षा ऋतु के उपरान्त तीन–चार माह में सूख जाता है या उसका बहाव समाप्त हो जाता है।

चेकडैम निर्माण किये जाने से दो से तीन किलोमीटर तक जल भराव रहता है। जिससे दोनों तट के लघु, सीमान्त व अन्य कृषकों द्वारा भूस्तरीय पम्पसेट लगाकर सिंचाई की जा सकेगी, जिससे उन कृषकों की कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी। साथ ही साथ कई माह तक जल संचयन की स्थिति होने से सम्बन्धित क्षेत्र में भूजल–स्तर भी ऊपर उठेगा।

लघु सिंचाई विभाग द्वारा कई योजनाओं यथा–जिलायोजना, बुन्देलखण्ड पैकेज, राज्य पेयजल संरक्षण मिशन एवं आर0आई0डी0एफ0 आदि में विगत कई वर्षो से नदी नालों पर चेकडैमों का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण के पश्चात् विभाग में इनके अनुरक्षण का कोई मद/योजना नहीं है, जिससे क्रमशः इनका क्षरण होता रहता है और अन्ततः ये अनुपयोगी हो जाते हैं। योजना में ऐसे चेकडैम जिनके निर्माण में 05 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, उनकी मरम्मत कर उनको उपयोगी बनाये रखने का प्रस्ताव है।

वित्तीय व्यवस्था–

(1) योजना में स्वीकृत परिव्यय एवं उपलब्ध बजट के सापेक्ष खण्डवार/जनपदवार बजट/वित्तीय स्वीकृतियाँ शासन द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) वित्तीय स्वीकृति के आधार पर मुख्य अभियन्ता कार्यालय के वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा बजट आवंटन किया जायेगा।

लक्ष्यों का निर्धारणः–

(1) प्रत्येक वर्ष जनपदवार लक्ष्य शासन स्तर से उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

(2) यथा आवश्यकतानुसार लक्ष्य में संशोधन मुख्य अभियन्ता के स्तर से किये जा सकेंगे।

चयन में प्राथमिकतायें एवं प्रतिबन्धः–

चयन में निम्नलिखित प्रतिबन्ध एवं प्राथमिकतायें होंगी–

1– चेकडैम मरम्मत हेतु स्थल चयन में सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई के द्वारा उन स्थलों को प्राथमिकता दी जायेगी, जो अपेक्षाकृत कम धनराशि का उपयोग करते हुए मरम्मतोपरान्त उपयोगी हो सकें।

2– चेकडैमों का निर्माण/मरम्मत, पर्यवेक्षण व सत्यापन विभाग में प्रचलित नियमों/दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

3– विभाग में 05 वर्ष से पूर्व निर्मित चेकडैमों का ही मरम्मत कार्य हेतु चयन किया जायेगा।

4– अधिशासी अभियन्ता के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कराये गये मरम्मत कार्य पर दोबारा मरम्मत कार्य 03 वर्ष तक प्रतिबन्धित हो एवं पुनः उक्तानुसार निर्धारित समय सीमा में क्षतिग्रस्त होने पर सम्बन्धित अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए तथा सम्बन्धित फर्म से मरम्मत कराना सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा स्थिति में उसकी जमानत धनराशि को राजसात कर लिया जाए।

5– यदि किसी चेकडैम पर अगले वर्ष पुनः मरम्मत कार्य कराया जाए, तो सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता यह प्रमाण–पत्र निर्गत करेंगे कि कराया जाने वाला मरम्मत कार्य, पूर्व के अतिरिक्त है।

स्थल की स्वीकृतिः–

(1) चेकडैम मरम्मत कार्य की अन्तिम सूची सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा तैयार की जायेगी एवं प्रस्ताव के साथ यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त चेकडैम विभाग में 05 वर्ष पूर्व निर्मित हैं एवं मरम्मत के उपरान्त चेकडैम, उपयोगी की श्रेणी में आ जायेगा।

(2) चेकडैम के मरम्मत हेतु स्थल की अन्तिम स्वीकृति मुख्य अभियन्ता/ विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा दी जायेगी।

<u>योजना का क्रियान्वयन–</u>

(1) जिलायोजनान्तर्गत निर्मित किये जा रहे चेकडैम के सम्बन्ध में अपनायी गयी व्यवस्थानुसार स्थल चयनोपरान्त सम्बन्धित अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा चेकडैम की मरम्मत हेतु विस्तृत प्राकक्लन तैयार कर सक्षम तकनीकी अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

(2) अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा विभाग में प्रचलित नियमों/ई–टेण्डर के माध्यम से फर्म का चयन कर कार्य कराया जायेगा।

(3) यथा आवश्यकता व यथा उपलब्धता शासनादेशानुसार 'जेम–पोर्टल' पर पंजीकृत 'फर्मो' से उत्पाद/सेवा की आपूर्ति ली जा सकेगी।

(4) योजनान्तर्गत धनराशि की बचत होने पर माह दिसम्बर के अन्त तक अतिरिक्त लक्ष्य का प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता द्वारा मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा, तद्नुसार मुख्य अभियन्ता के स्तर से अतिरिक्त लक्ष्यों का प्राविधान करते हुए चेकडैम मरम्मत का कार्य कराया जायेगा।

(5) योजना के क्रियान्वयन में किसी भी कठिनाई के दृष्टिगत उचित पाये जाने पर, सम्बन्धित निर्देश, मुख्य अभियन्ता के स्तर से निर्गत किये जा सकेंगे।

<u>गुणवत्ता नियंत्रण एवं भौतिक सत्यापनः–</u>

(1) जिलायोजनान्तर्गत निर्मित किये जा रहे चेकडैम के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों/गाइडलाइन में दी गयी व्यवस्थानुसार गुणवत्ता नियंत्रण एवं भौतिक सत्यापन की प्रकिया अपनायी जायेगी।

(2) मरम्मत कार्य के अन्तर्गत सी0सी0 का कार्य नियमानुसार सहायक अभियन्ता की उपस्थिति में ही कराया जायेगा एवं उक्त का उल्लेख माप–पुस्तिका में किया जायेगा।

=============== X ==============

(7) विन्ध्य व बुन्देलखण्ड के पठारी क्षेत्र हेतु नये ब्लास्ट कूप का निर्माण कार्य–

बुन्देलखण्ड क्षेत्र सहित अन्य पठारी क्षेत्र यथा जनपद मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज व चन्दौली आदि जनपदों में बोरिंग द्वारा सफल रुप से जल प्राप्त न होने के कारण इस विशेष योजना में ब्लास्ट कूप का निर्माण कराया जाना है। इससे जल संकट युक्त क्षेत्रों के कृषकों की जल संसाधन पर आत्मनिर्भरता बढ़ेगी एवं सिंचाई संसाधन का प्रयोग करते हुए उनकी कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी। नये ब्लास्ट कूप का निर्माण 06 मीटर व्यास एवं 15 मीटर गहराई तक किया जाना है।

योजना का उद्देश्य–

(1) प्रस्तावित क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचन क्षमता में वृद्धि करना साथ ही कृषक की आय में भी वृद्धि सुनिश्चित करना।

(2) ग्रीष्म ॠतु में सिंचाई के साथ–साथ अन्य आवश्यकताओं हेतु पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

(3) गरीबी उन्मूलन हेतु बुन्देलखण्ड क्षेत्र के कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार का सृजन किया जाना।

(4) लघु, सीमान्त एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को सिंचाई सुविधा हेतु पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए जीवन स्तर में सुधार करना।

योजना का प्रस्तावित कार्य क्षेत्र, लाभ एवं कुल लागत –

योजना के क्रियान्वयन के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में झाँसी मण्डल के जनपद झाँसी एवं ललितपुर तथा चित्रकूटधाम मण्डल के जनपद महोबा एवं चित्रकूट के पठारी क्षेत्रों के साथ–साथ विन्ध्य क्षेत्र के अन्य पठारी क्षेत्र यथा जनपद मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज एवं चन्दौली आदि जनपदों में नये ब्लास्ट कूप का निर्माण किया जाना है।

लक्ष्यों का निर्धारणः–

(1) प्रत्येक वर्ष जनपदवार लक्ष्य शासन स्तर से उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष मुख्य अभियन्ता के द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

(2) यथाआवश्यकतानुसार लक्ष्य, मुख्य अभियन्ता के स्तर से परिवर्तनीय होंगे।

वित्तीय व्यवस्था–

(1) योजना में स्वीकृत परिव्यय एवं उपलब्ध बजट के सापेक्ष खण्डवार/जनपदवार बजट/वित्तीय स्वीकृतियाँ शासन द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) वित्तीय स्वीकृति के आधार पर मुख्य अभियन्ता कार्यालय के वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा बजट आवंटन किया जायेगा।

अनुमन्य अनुदान –

क्र. सं.	कार्य का नाम	मद का नाम	इकाई लागत (लाख रू० में)	अनुमन्य अधिकतम अनुदान (लाख रू० में)	कृषक अंश 10 प्रतिशत (लाख रू० में)
1	2	3	4	5	6
1	विन्ध्य व बुन्देलखण्ड के पठारी क्षेत्र हेतु नये ब्लास्ट कूप का निर्माण कार्य।	सर्वेक्षण कार्य	0.015	-	0.015
		ब्लास्ट वेल निर्माण (06 मी. व्यास तथा गहराई 15 मी. तक)	10.00	-	-
		पम्पसेट (8 एच.पी. डी०पम्पसेट)	0.36	0.324	0.036
		जल वितरण प्रणाली हेतु एच.डी.पी.ई. पाइप पर अनुदान (90mm Ø / 110 mm Ø, लम्बाई 180 मीटर तक)	0.30	0.27	0.03

लाभार्थी चयन

विकासखण्ड के अन्तर्गत वाटरशेड एप्रोच के आधार पर कृषकों का चयन किया जायेगा। चयन हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगीः–

1– योजनान्तर्गत उन्हीं स्थलों का चयन किया जायेगा, जहाँ सर्वेक्षण आख्या के अनुसार ब्लास्ट कूप निर्माण हेतु स्थल उपयुक्त हो। एल्यूविएल क्षेत्रों में स्थल का चयन नहीं किया जायेगा।

2– उपयुक्त क्षेत्रों में लक्ष्यों के सापेक्ष जनपदवार सूची अधिशासी अभियन्ता द्वारा संस्तुति के उपरान्त विभागाध्यक्ष को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जायेगी।

3– बैंक ड्राफ्ट/चालान के माध्यम से सर्वेक्षण शुल्क के रूप में कृषक अंश जमा करने के क्रमानुसार प्रथम आवक–प्रथम पावक के आधार पर चयन कर सूची सहायक अभियन्ता को अवर अभियन्ता द्वारा प्रेषित की जायेगी। जिसे सहायक अभियन्ता अपने कार्यालय के प्राथमिकता रजिस्टर में अंकित करेंगे। कृषक अंश की धनराशि को नकद जमा किया जाना किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

4– jjmup.org/विभागीय पोर्टल (यथा संशोधित) पर लाभार्थी का पंजीकरण आवश्यक होगा।

5– कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व चयनित लाभार्थियों की सूची ग्राम/विकासखण्ड/जनपद स्तर पर सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित की जायेगी तथा क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जायेगी।

6– उन्हीं कृषकों का चयन किया जायेगा जो कृषि कार्य से जुड़े हों एवं पूर्व में ब्लास्ट कूप निर्माण हेतु अनुदान प्राप्त न किया हो। उक्त को सहायक अभियन्ता के द्वारा गत वर्षो में पूर्ण ब्लास्ट कूपों की सूची से प्रमाणित किया जायेगा।

7– ब्लास्ट कूप के निर्माण में अनुमन्य अनुदान के अतिरिक्त आने वाला व्यय कृषक द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

<u>ब्लास्ट कूप के निर्माण की प्रक्रिया निम्नवत् है</u>–

लघु सिंचाई विभाग द्वारा योजना क्षेत्र का भूगर्भ जल विभाग/रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर की सहायता से विस्तृत सर्वेक्षण कराने के उपरान्त ब्लास्ट कूप निर्माण हेतु उपयुक्त स्थलों का चिन्हाकंन किया जायेगा, यदि सम्बन्धित द्वारा ब्लास्ट कूप हेतु सर्वेक्षण का कार्य करने में असमर्थता बतायी जाती है अथवा समयान्तर्गत कार्य नहीं किया जाता है, तो सर्वेक्षण का कार्य सुसंगत आदेशों एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं वित्तीय नियमों के तहत निजी संस्थाओं से निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत कराया जा सकेगा।

चयन में प्राथमिकतायें एवं प्रतिबन्ध – कृषक द्वारा नये ब्लास्ट कूप के निर्माण हेतु सर्वेक्षण शुल्क रू. 1500.00 (यथा संशोधित) प्रार्थना–पत्र एवं समस्त आवश्यक अभिलेखों के साथ सहायक अभियन्ता कार्यालय में जमा किया जायेगा और इसी आधार पर ब्लास्ट कूप निर्माण की प्राथमिकता निर्धारित की जायेगी।

योजना का क्रियान्वयन –

1– नवीन ब्लास्ट कूप की स्थापना रिपोर्ट कृषक, अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई, व ग्राम प्रधान/क्षेत्र पंचायत सदस्य/ज़िला पंचायत सदस्य के संयुक्त फोटोग्राफ व हस्ताक्षर सहित विभाग में प्रस्तुत की जायेगी एवं कृषक द्वारा इस बात का रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त ब्लास्ट कूप का उपयोग सिंचाई हेतु किया जायेगा। इस हेतु यह सुनिश्चित किया जायेगा कि लगभग 3 हेक्टेअर सिंचन क्षमता का सृजन हो सके।

2– ब्लास्ट कूप का निर्माण 06 मी0 व्यास एवं 15 मी0 गहराई तक किया जायेगा अथवा पूर्व निर्गत शासनादेश सं0–3107/62–2–2018–2/2 (477)/2018टी0सी0 दिनांक 03.12.2018 के अनुसार पोस्ट मानसून माह दिसम्बर में 06 मी0 स्टैण्डिंग वाटर की अनिवार्यता होगी।

3– सर्वेक्षण के उपरान्त यदि कार्यस्थल, ब्लास्ट कूप के निर्माण हेतु उपयुक्त पाया जाता है किन्तु निर्माण की प्रक्रिया के अन्तर्गत गहराई में राक स्ट्रेटा (हार्ड स्ट्रेटा) प्राप्त न होने की स्थिति में अधिशासी अभियन्ता की आख्या

पर सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता की अनुमति के उपरान्त शासकीय व कार्य हित में उक्त कार्य का भुगतान आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त डगवेल के रूप में किया जा सकेगा।

4– यथा आवश्यकता व यथा उपलब्धता शासनादेशनुसार जेम पोर्टल पर पंजीकृत फर्मो से उत्पाद/सेवा की आपूर्ति ली जा सकेगी।

5– योजनान्तर्गत धनराशि की बचत होने पर माह दिसम्बर के अन्त तक अतिरिक्त लक्ष्य का प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता द्वारा मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा, तद्नुसार मुख्य अभियन्ता के स्तर से अतिरिक्त लक्ष्यों का प्राविधान करते हुए ब्लास्ट कूप निर्माण का कार्य कराया जायेगा।

6– योजना के क्रियान्वयन में किसी भी कठिनाई के दृष्टिगत उचित पाये जाने पर, सम्बन्धित निर्देश, मुख्य अभियन्ता के स्तर से निर्गत किये जा सकेंगे।

गुणवत्ता नियंत्रण एवं भौतिक सत्यापन –

नये ब्लास्ट कूप का निर्माण, पर्यवेक्षण व सत्यापन विभाग में प्रचलित नियमों/ दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

अनुदान स्वीकृत करने की प्रक्रिया –

1– ब्लास्ट कूप पर अनुदान, समय–समय पर विभाग के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश एवं विभागीय नियम/शासनादेश के अनुसार अनुमन्य होगा।

2– योजना के क्रियान्वयन के अन्तर्गत लाभार्थी कृषक को अनुमन्य अनुदान से अधिक कदापि देय न होगा एवं अधिक लागत की स्थिति में अतिरिक्त धनराशि कृषक के द्वारा वहन की जायेगी।

=============== X ==============

(8) चेकडैम/तालाबों पर भूस्तरीय सिंचाई सुविधा के रूप में ट्राली माउन्टेड 02 एच.पी. के सोलर पम्पसेट स्थापना का कार्य

गत वर्षो में निर्मित चेकडैमों व जीर्णोद्धार किये गये तालाबों के तटबन्धों पर स्थित कृषि भूमि के लघु, सीमान्त एवं अन्य कृषकों द्वारा भूस्तरीय डीजल पम्पसेट का प्रयोग करते हुए सिंचाई सुविधा प्राप्त की जाती है। वर्तमान में पारम्परिक ऊर्जा स्रोत (डीजल/विद्युत चालित पम्पसेट) के द्वारा सिंचाई किये जाने की स्थितियों को हतोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है। अतएव उचित होगा कि तालाबों/ चेकडैमों के तटबन्धों पर स्थित कृषकों को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत (सोलर पम्पसेट) के रूप में अनुदान के माध्यम से उपलब्ध कराया जाय एवं सिंचाई के दृष्टिगत आत्मनिर्भर बनाया जाए।

कृषक लाभार्थी की पात्रता श्रेणी –

1– योजनान्तर्गत ऐसे कृषक पात्र होंगे, जिनकी कृषि योग्य भूमि, चेकडैम/तालाब के जल भराव क्षेत्र के आस–पास होगी। लघु/सीमान्त कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी।

2– योजनान्तर्गत ऐसे कृषक पात्र होंगे, जो पूर्व में किसी भी योजना में सोलर पम्पसेट हेतु अनुदान प्राप्त न किये हों।

अनुमन्य अनुदान –

क्र. सं.	कार्य का नाम	मद का नाम	इकाई लागत (रू0 में)	अनुमन्य अधिकतम अनुदान (रू0 में)	कृषक अंश (रू0 में)
1	2	3	4	5	6
1	चेकडैम/तालाबों पर भूस्तरीय सिंचाई सुविधा के रूप में ट्राली माउन्टेड 02 एच.पी. के सोलर पम्पसेट (ए.सी. /डी.सी.) स्थापना का कार्य	सोलर पम्पसेट 02 एच.पी. (कृषि विभाग में प्रचलित दर के अनुसार)	144526	86716 (60%)	57810 (40%)
		ट्राली	75000	67500 (90%)	7500 (10%)

वित्तीय व्यवस्था–

(1) मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना में स्वीकृत परिव्यय एवं उपलब्ध बजट के सापेक्ष खण्डवार/जनपदवार बजट/वित्तीय स्वीकृतियाँ शासन द्वारा उपलब्ध करायी जायेंगी।

(2) वित्तीय स्वीकृति के आधार पर मुख्य अभियन्ता कार्यालय के वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा बजट आवंटन किया जायेगा।

लक्ष्यों का निर्धारणः–

(1) प्रत्येक वर्ष जनपदवार लक्ष्य शासन स्तर से उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष मुख्य अभियन्ता के द्वारा निर्गत किये जायेंगे।
(2) यथा आवश्यकतानुसार लक्ष्यों में संशोधन, मुख्य अभियन्ता के स्तर से किये जा सकेंगे।

लाभार्थियों का चयनः–

कृषकों के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

(1) पात्र एवं इच्छुक कृषकों का चयन उनके द्वारा कृषक अंश जमा करने की तिथि के आधार पर प्रथम आवक–प्रथम पावक के आधार पर किया जायेगा। कृषक अंश धन को बैंक ड्राफ्ट/चालान के माध्यम से सहायक अभियन्ता कार्यालय में जमा किया जायेगा।

(2) लाभार्थी कृषकों को jjmup.org/विभागीय पोर्टल (यथा संशोधित) पर लाभार्थी का पंजीकरण आवश्यक होगा।

चयन में प्राथमिकतायें एवं प्रतिबन्धः–

चयन में निम्नलिखित प्रतिबन्ध एवं प्राथमिकतायें होंगी–

(1) ऐसे कृषक जिनके पास निजी सिंचाई संसाधन उपलब्ध नहीं है, उनको प्राथमिकता दी जायेगी।

(2) कृषकों को योजना का लाभ सहायक अभियन्ता कार्यालय में उपलब्ध प्राथमिकता रजिस्टर में जमा कृषक अंश धन की तिथि के आधार पर किये गये अंकन के आधार पर वरीयता कम में दिया जायेगा।

(3) योजनान्तर्गत लघु/सीमान्त, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला कृषकों को वरीयता दी जायेगी।

योजना की स्वीकृतिः–

चयनित पात्र एवं इच्छुक कृषकों को निर्धारित रूपपत्र पर संबंधित खण्ड विकास अधिकारी की संस्तुति के पश्चात् अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्वीकृति निर्गत की जायेगी एवं वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता को सूचित किया जायेगा।

सामग्री कय की व्यवस्था–

(1) योजना के अन्तर्गत कय किये जाने वाले पम्पसेट व अन्य सामग्रियों को प्राप्त बजट एवं कृषकों द्वारा जमा धनराशि से जेम पोर्टल के माध्यम से सुसंगत शासनादेशों एवं भण्डार कय नियमों के अनुरूप केन्द्रीयकृत

व्यवस्था के अन्तर्गत आपूर्ति खण्ड के माध्यम से द्वारा खण्डवार प्राप्त मॉग के आधार पर खण्डवार आपूर्ति प्राप्त की जायेगी।

(2) जेम पोर्टल पर प्राप्त न्यूनतम दर के निर्धारित इकाई लागत से कम होने पर **'प्रधानमंत्री कुसुम योजना'** के अन्तर्गत लागत निर्धारण (यथा संशोधित) के अनुसार अनुदान देय होगा।

(3) जेम पोर्टल के कय/आपूर्ति की स्थिति में आपूर्तिकर्ता फर्म एवं लघु सिंचाई विभाग के मध्य किये गये अनुबन्ध में सोलर पम्प सेट की स्थापना उसकी कियाशीलता एवं अनुरक्षण आदि का समावेश 03 वर्ष तक निःशुल्क किया जायेगा।

(4) जेम पोर्टल पर ट्राली की अनुपलब्धता की स्थिति में कृषक द्वारा उक्त का कय किया जा सकेगा। उक्त स्थिति में अनुदान की धनराशि, कृषक द्वारा प्रस्तुत बिल व ट्राली के अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता के सत्यापन व पूर्ण सन्तुष्टि के उपरान्त कृषक के खाते में हस्तांरित की जायेगी।

<u>योजना का कियान्वयन–</u>

(1) नवीन ट्राली माउन्टेड सोलर पम्पसेट की स्थापना सम्बन्धित आख्या कृषक, अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई, के संयुक्त फोटोग्राफ व हस्ताक्षर सहित विभाग में प्रस्तुत की जायेगी एवं कृषक द्वारा इस बात का नोटरी शपथ–पत्र (रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर) प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त पम्पसेट का उपयोग सिंचाई हेतु किया जायेगा एवं उक्त पम्पसेट को किसी भी दशा में 05 वर्ष से पूर्व विकय नहीं किया जायेगा। उक्त शपथ पत्र में यह भी अंकित किया जायेगा कि लाभार्थी के द्वारा पूर्व में किसी अन्य योजना से सोलर पम्प पर अनुदान प्राप्त नहीं किया गया है।

(2) कार्य पूर्ण होने पर कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र तैयार किया जायेगा, जिस पर लाभार्थी, बोरिंग टैक्नीशियन/सहायक बोरिंग टैक्नीशियन एवं सम्बन्धित अवर अभियन्ता के हस्ताक्षर होगें। यह प्रपत्र पम्पसेट हस्तांतरण को भी प्रमाणित करेगा जिसकी एक प्रति कृषक को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) योजनान्तर्गत धनराशि की बचत होने पर माह दिसम्बर के अन्त तक अतिरिक्त लक्ष्य का प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता द्वारा मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा, तद्नुसार मुख्य अभियन्ता के स्तर से अतिरिक्त लक्ष्यों का प्राविधान करते हुए मुख्यालय से सोलर पम्पसेट का क्रय नियमानुसार जेम पोर्टल से किया जायेगा।

(4) योजना के क्रियान्वयन में किसी भी कठिनाई के दृष्टिगत उचित पाये जाने पर, सम्बन्धित निर्देश, मुख्य अभियन्ता के स्तर से निर्गत किये जा सकेंगे।

(5) आपूर्तिकर्ता फर्म को सोलर पम्प की स्थापना के उपरान्त पाँच वर्ष के लिए वार्षिक रखरखाव हेतु अनुबन्ध किया जाना अनिवार्य होगा, जिसमें स्थापित सोलर पम्प की बीमा धनराशि भी सम्मिलित है। स्थापित सोलर पम्पों के समय से मरम्मत एवं रखरखाव हेतु सम्बन्धित फर्म द्वारा प्रत्येक जनपद में अधिकृत सेवा केन्द्र की स्थापना के साथ हिन्दी/अग्रेंजी में हेल्पलाइन नम्बर भी निर्गत किया जायेगा। हेल्पलाइन नम्बर, पम्प अथवा कन्ट्रोलर के उपयुक्त स्थान पर अंकित किया जायेगा, जो सोलर पम्प के उपयोगकर्ता को आसाजी से दिखाई दे।

गुणवत्ता नियंत्रण एवं भौतिक सत्यापनः–

क्रय किये जा रहे सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु निम्नलिखित निर्देश दिये जा रहे हैः–

(1) जेम पोर्टल से क्रय किये गये ट्राली माउन्टेड सोलर पम्पसेट की गुणवत्ता भण्डार क्रय नियमों के अन्तर्गत निर्माता फर्म द्वारा आपूर्ति से पूर्व अथवा पश्चात् में निर्धारित जाँच एजेन्सी तथा विभागीय अधिकारियों द्वारा सम्मिलित रुप से किया जायेगा। जाँच प्रकिया का निर्धारण मुख्य अभियन्ता के द्वारा किया जायेगा (यथा संशोधित)।

(2) जेम पोर्टल के माध्यम से आपूर्तित ट्राली माउन्टेड पम्पसेट की आई.एस. आई. मार्क एवं अन्य तकनीकी पहलुओं की जाँच मुख्य अभियन्ता की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी। संतोषजनक पाये जाने पर 90 प्रतिशत भुगतान सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) ट्राली माउन्टेड सोलर पम्पसेट की कार्य स्थल पर स्थापना और संतोषजनक ट्रायल का सत्यापन संबंधित अवर अभियन्ता द्वारा किया जायेगा। अवशेष 10 प्रतिशत भुगतान की संस्तुति अवर अभियन्ता व सहायक अभियन्ता द्वारा की जायेगी। सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई द्वारा

प्रत्येक ट्राली माउन्टेड सोलर पम्पसेट का कम्पनी से प्राप्त टेस्टिंग रिपोर्ट कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा।

(4) विभागीय स्तर पर अवर अभियन्ता द्वारा शत्-प्रतिशत् सत्यापन किया जायेगा। सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता लघु सिंचाई, अपने-अपने कार्य क्षेत्र में इस प्रक्रिया के अन्तर्गत स्थापित क्रमशः 20,10,5 प्रतिशत पम्पसेटों का सत्यापन सुनिश्चित करेंगे।

(5) गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्त प्रस्तरों में वर्णित प्राविधानों/व्यवस्थाओं का पालन सुनिश्चित कराने हेतु अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता उत्तरदायी होगें और इस हेतु उनके द्वारा नियमित मासिक समीक्षा की जायेगी। उक्त वर्णित प्राविधानों/व्यवस्थाओं का पालन सुनिश्चित न किये जाने की दशा में उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही कराना, मुख्य अभियन्ता का दायित्व होगा।

(6) लाभार्थी/कृषक की ट्राली माउन्टेड सोलर पम्पसेट के साथ फोटोग्राफ पत्रावली में रक्षित की जायेगी।

<u>सामान्य निर्देश-</u>

1- कार्य से सम्बन्धित मुख्य नियम, प्राविधान/नियमावाली को लघु सिंचाई विभाग द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत में उपर्युक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जाये।

2- योजना के क्रियान्वयन के अन्तर्गत लाभार्थी कृषक को अनुमन्य अनुदान से अधिक कदापि देय न होगा एवं अधिक लागत की स्थिति में अतिरिक्त धनराशि कृषक के द्वारा वहन की जायेगी।

=============== X ==============

(9) वर्षा जल संभरण/रीचार्ज की महत्ता के दृष्टिगत रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना –

प्रदेश में गिरते भूजल स्तर को रोकने हेतु वर्षा जल का संभरण करके पानी की उपलब्धता बढ़ाने का एक सुलभ एवं पर्यावरण के अनुकूल विधि, छत के ऊपर प्राप्त वर्षा जल का संचयन करना है। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना कर छत पर प्राप्त होने वाले वर्षा जल को भूजल संभरण में उपयोग करते हैं, जिससे बढ़े हुए भूजल से सिंचाई हेतु आवश्यक जल उपलब्ध होगा एवं तद्नुसार पर्यावरण पर अनुकूल प्रभाव होगा। क्षेत्र में गिरते हुए भूजल स्तर को रोककर उसे ऊपर लाने में सहायता मिलेगी एवं बहते हुए वर्षा जल को उपयोगी बनाया जा सकेगा।

क्षेत्र के शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों पर उत्तरोत्तर प्रणाली स्थापना होने से भूजल स्तर में वृद्धि होगी, गर्मी के दिनों में बोरिंग के खराब होने में कमी आयेगी। भूगर्भ आर्द्रता के कारण पेड़–पौधे का विकास होगा, जिससे पर्यावरण संतुलन बना रहेगा एवं पीने के पानी में हानिकारक रासायनिक तत्व जैसे फ्लोराइड, आर्सेनिक व अन्य की मात्रा में कमी आयेगी।

वित्तीय व्यवस्था–

(1) योजना हेतु मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना में शासन द्वारा स्वीकृत बजट के सापेक्ष खण्डवार/जनपदवार लक्ष्य मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) वित्तीय स्वीकृति के आधार पर मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा बजट आवंटन किया जायेगा।

लक्ष्यों का निर्धारणः–

(1) प्रत्येक वर्ष जनपदवार लक्ष्य शासन स्तर से उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष मुख्य अभियन्ता के स्तर से निर्गत किये जायेंगे।

(2) यथा आवश्यकता लक्ष्यों में संशोधन मुख्य अभियन्ता के स्तर से किये जा सकेंगे।

चयन में प्राथमिकतायें एवं प्रतिबन्धः–

चयन में निम्नलिखित प्रतिबन्ध एवं प्राथमिकतायें होंगी–

1– प्रत्येक जिले में ऐसे शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों का चयन किया जाए, जो अतिदोहित/क्रिटिकल/सेमी क्रिटिकल/गहरे जल स्तर वाले क्षेत्र में स्थित हो अथवा जहाँ पर भूजल स्तर में गिरावट दर्ज की जा रही हो।

2– इस योजना में भूजल संभरण की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रदेश के सभी जिले आच्छादित होंगे।

<u>स्थल की स्वीकृतिः–</u>

(1) रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना हेतु चयनित शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों का जनपद स्तरीय तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्ताव रखकर सर्वप्रथम जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला तकनीकी समिति (DTCC) से विभाग को अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(2) रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना हेतु डी0टी0सी0सी0 से अनुमोदन के उपरान्त अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा प्रस्ताव तैयार कर मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई को प्रेषित किया जायेगा।

(3) रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना हेतु स्थल की अन्तिम स्वीकृति मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा दी जायेगी।

<u>योजना का क्रियान्वयन–</u>

(1) रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना हेतु स्थल चयनोपरान्त सम्बन्धित अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा विस्तृत प्राकक्लन तैयार कर सक्षम तकनीकी अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

(2) अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा विभाग में प्रचलित निर्माण कार्यो हेतु निर्धारित नियम एवं लोक लेखा पद्धति का पालन करते हुए निर्माण कार्य सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) योजनान्तर्गत धनराशि की बचत होने पर माह दिसम्बर के अन्त तक अतिरिक्त लक्ष्य का प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता द्वारा मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा, तद्नुसार मुख्य अभियन्ता के स्तर से रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना के अतिरिक्त लक्ष्यों का प्राविधान किया जायेगा।

(4) योजना के क्रियान्वयन में किसी भी कठिनाई के दृष्टिगत उचित पाये जाने पर, सम्बन्धित निर्देश, मुख्य अभियन्ता के स्तर से निर्गत किये जा सकेंगे।

गुणवत्ता नियंत्रण एवं भौतिक सत्यापनः–

(1) रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना का पर्यवेक्षण व सत्यापन विभाग में प्रचलित नियमों/दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(2) योजनान्तर्गत निर्मित सभी कार्यो की जियो–टैगिंग अनिवार्य रूप से करायी जायेगी।7

भवदीय,

(रमाकान्त तिवारी)
मुख्य अभियन्ता।

पत्रांकः — /ल0सिं0/कार्य0/जि0यो0/2022–23, तद्‌दिनांकः।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– उप सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–4 को शासन के शासनादेश संख्या–1307/76–4–2022–2/2(22)/2022 दिनांक 31.10.2022 के कम में संलग्नक सहित सूचनार्थ प्रेषित।
2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5– निदेशक (प्रशिक्षण), लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग, बी.के.टी., लखनऊ।
6– अधिशासी अभियन्ता, भण्डार आपूर्ति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

(रमाकान्त तिवारी)
मुख्य अभियन्ता।